भाग स

राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम

अध्याय I

1.1 राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (एसपीएसई) का कामकाज

1.1.1 सामान्य

यह अध्याय झारखण्ड सरकार तथा भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (सीएजी) के लेखापरीक्षा क्षेत्राधिकार के अधीनस्थ सरकारी कंपनियों एवं सरकार-नियंत्रित अन्य कंपनियों के वित्तीय प्रदर्शन का सार प्रस्तुत करता है। इन राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (एसपीएसई) को वाणिज्यिक प्रकृति की गतिविधियों को अंजाम देने तथा राज्य के आर्थिक विकास में योगदान करने हेतु स्थापित किया गया था।

अध्याय में, राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम (एसपीएसई) शब्द में सरकारी कंपनियाँ, जिनमें झारखण्ड सरकार की प्रत्यक्ष हिस्सेदारी **51** प्रतिशत या उससे अधिक है, और उनकी सहायक कंपनियाँ शामिल हैं। झारखण्ड में कोई वैधानिक निगम नहीं है।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2(45) के अनुसार, एक सरकारी कंपनी वैसी कंपनी है जिसमें प्रदत्त अंशपूँजी का कम से कम 51 प्रतिशत केंद्र सरकार, या किसी राज्य सरकार/ सरकारों, या आंशिक रूप से केंद्र सरकार तथा आंशिक रूप से एक या अधिक राज्य सरकारों द्वारा प्रदत्त होती है। इसमें वैसी कंपनी भी शामिल है, जो ऐसी सरकारी कंपनी की सहायक कंपनी है। इसके अलावा, एक सरकार-नियंत्रित कंपनी केंद्र सरकार, या किसी राज्य सरकार अथवा सरकारों, या आंशिक रूप से केंद्र सरकार और आंशिक रूप से एक या अधिक राज्य सरकारों द्वारा प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से स्वामित्व या नियंत्रित कोई अन्य कंपनी है।

अधिदेश

एक सरकारी कंपनी अथवा केंद्र सरकार या किसी राज्य सरकार अथवा सरकारों या आंशिक रूप से केंद्र सरकार और आंशिक रूप से एक या अधिक राज्य सरकारों द्वारा प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से स्वामित्व या नियंत्रित कोई अन्य कंपनी सीएजी के लेखापरीक्षा का विषय है।

एसपीएसई की संख्या

31 मार्च 2020 को झारखण्ड में 31 एसपीएसई (03 निष्क्रिय एसपीएसई सहित) थे। इस खंड में 31 अगस्त 2021 तक नवीनतम अंतिमीकृत लेखाओं के आधार पर तैयार किए गए एसपीएसई के वित्तीय प्रदर्शन को शामिल किया गया है। 31 अगस्त 2021 तक नवीनतम अंतिमीकृत लेखाओं के अनुसार कार्यशील एसपीएसई ने ₹ 7,739.34 करोड़ का वार्षिक टर्नओवर दर्ज किया अर्थात् 2018-19[1] के विरुद्ध 2019-20 में 17.43 प्रतिशत की वृद्धि। यह टर्नओवर वर्ष 2019-20 के सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) (₹ 3,28,598 करोड़) के 2.36 प्रतिशत के बराबर था। नवीनतम अंतिमीकृत लेखाओं के

---

[1] दिसंबर 2019 तक अपने नवीनतम अंतिम खातों के अनुसार कार्य कर रहे एसपीएसई का टर्नओवर ₹ 6,590.43 करोड़ था।

अनुसार कार्यशील एसपीएसई को ₹ 1,354.20 करोड़ की हानि हुई। यहाँ तीन एसपीएसई[2] प्रारम्भ से ही निष्क्रिय हैं जिनमें पूँजी (₹ 1.10 करोड़) और दीर्घकालिक ऋण (₹ 50.81 करोड़) पर ₹ 51.91 करोड़ का निवेश है। यह एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है क्योंकि निष्क्रिय एसपीएसई में निवेश राज्य के आर्थिक विकास में योगदान नहीं करता है। पतरातू एनर्जी लिमिटेड और झारबिहार कोलियरी लिमिटेड को समेटने की प्रक्रिया की शुरुआत उनके बोर्डों[3] द्वारा अनुमोदित है।

ऊर्जा क्षेत्र के एसपीएसई का ढाँचा

किसी भी राज्य की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए ऊर्जा किसी भी औद्योगिक गतिविधियों को संचालित करने हेतु एक प्रमुख घटक है । झारखण्ड राज्य विद्युत बोर्ड (जेएसईबी) के विखंडन तथा जेएसईबी की परिसंपत्तियों, संपत्तियों, देनदारियों, दायित्वों, कार्यवाही और कर्मियों को ऊर्जा क्षेत्र की चार कंपनियों (यानी झारखण्ड ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड, झारखण्ड बिजली वितरण निगम लिमिटेड, झारखण्ड ऊर्जा संचरण निगम लिमिटेड और झारखण्ड ऊर्जा उत्पादन निगम लिमिटेड) को हस्तांतरित करने के लिए राज्य सरकार ने झारखण्ड राज्य विद्युत सुधार स्थानांतरण योजना, 2013 (जेएसईआरटी 2013) तैयार की (06 जनवरी 2014)। ऊर्जा क्षेत्र की ये चार कंपनियाँ 06 जनवरी 2014 से अस्तित्व में आईं और जेएसईआरटी योजना, 2013 के प्रावधानों के अनुसार राज्य सरकार की देनदारियों को छोड़कर जेएसईबी की सभी परिसंपत्तियाँ एवं देनदारियाँ इन कंपनियों में वितरित हुईं। राज्य सरकार ने नवंबर 2015 में जेएसईआरटी योजना को संशोधित किया जिसमें यह स्पष्ट किया गया कि उत्पादन परिसंपत्तियों के क्रियाकलाप, व्यवसाय, अधिकार, दायित्व, अस्तियाँ एवं देनदारियाँ राज्य सरकार में निहित रहेगी एवं यह राज्य सरकार द्वारा पतरातू ताप विद्युत् केंद्र (पीटीपीएस) के माध्यम से प्रशासित होगा।

इन चार कंपनियों के अलावा, जेएसईआरटी योजना, 2013 से पूर्व चार[4] अन्य ऊर्जा क्षेत्र की कंपनियाँ निगमित हुई थीं। उपरोक्त चार कंपनियों में से एक कंपनी अर्थात् तेनुघाट विद्युत निगम लिमिटेड (26 नवंबर 1987 को स्थापित) एक ऊर्जा उत्पादन कंपनी है और अन्य तीन कंपनियाँ अर्थात् कर्णपुरा एनर्जी लिमिटेड (19 सितंबर 2008 को स्थापित), झारबिहार कोलियरी लिमिटेड (18 जून 2009 को स्थापित) तथा पतरातू एनर्जी लिमिटेड (26 अक्टूबर 2012 को स्थापित) झारखण्ड ऊर्जा उत्पादन निगम लिमिटेड की सहायक कंपनियाँ हैं। झारबिहार कोलियरी लिमिटेड एवं पतरातू एनर्जी लिमिटेड जिनमें स्थापना के बाद ₹ 24.38 करोड़ का (अंशपूँजी- ₹ 1.05 करोड़ और ऋण- ₹ 23.33 करोड़) निवेश है, उत्पादन शुरू किए बिना ही बंद होने की प्रक्रिया में

---

2 कर्णपुरा एनर्जी लिमिटेड (केइएल), पतरातू एनर्जी लिमिटेड (पेल) और झारबिहार कोलियरी लिमिटेड (जेसीएल)

3 केइएल: 5वीं एजीएम (15 सितंबर 2017), जेसीएल: 15वीं बैठक (15 मई 2016) और 16वीं बैठक (2 फरवरी 2018)

4 तेनुघाट विद्युत् निगम लिमिटेड, कर्णपुरा एनर्जी लिमिटेड, झारबिहार कोलियरी लिमिटेड और पतरातू एनर्जी लिमिटेड

है। ऊर्जा क्षेत्र की इन आठ कंपनियों में से तीन[5] कंपनियाँ 2019-20 तक वाणिज्यिक गतिविधियाँ शुरू नहीं की थीं। 31 मार्च 2020 तक झारखण्ड में आठ ऊर्जा-क्षेत्र के एसपीएसई थे। आठ में से केवल पाँच ऊर्जा-क्षेत्र के एसपीएसई कार्यशील थे।

गैर-ऊर्जा क्षेत्र के एसपीएसई का ढाँचा

राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (गैर-ऊर्जा क्षेत्र) में 31 मार्च 2020 तक राज्य सरकार की कंपनियाँ, सरकार-नियंत्रित अन्य कंपनियाँ और सहायक कंपनियाँ शामिल हैं, जो गैर-ऊर्जा क्षेत्र में काम कर रही हैं। इनमें सभी कार्यशील सरकारी कंपनियाँ, एक कार्यशील अन्य सरकार-नियंत्रित कंपनी और एक कार्यशील सहायक कंपनी शामिल हैं।

एसपीएसई का विनिवेश एवं पुनर्गठन

राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2019-20 के दौरान एसपीएसई में कोई विनिवेश, पुनर्गठन अथवा निजीकरण नहीं किया गया।

1.1.2 एसपीएसई में निवेश

झारखण्ड सरकार द्वारा निवेश

एसपीएसई में झारखण्ड सरकार की उच्च वित्तीय हिस्सेदारी है, जो मुख्यत: तीन प्रकार की हैं:

- **अंश-पूँजी और ऋण**- अंश-पूँजी योगदान के अलावा, झारखण्ड सरकार एसपीएसई को समय-समय पर ऋण के माध्यम से भी वित्तीय सहायता प्रदान करती है।
- **विशेष वित्तीय सहायता**- आवश्यकता पड़ने पर झारखण्ड सरकार एसपीएसई को अनुदान एवं सब्सिडी के माध्यम से बजटीय सहायता प्रदान करती है।
- **प्रत्याभूति**- झारखण्ड सरकार एसपीएसई द्वारा वित्तीय संस्थानों से लिए ब्याज सहित ऋणों के पुनर्भुगतान की प्रत्याभूति भी देता है।

एसपीएसई में क्षेत्रवार सारांश के साथ कुल निवेश

2019-20 के लेखाओं अथवा एसपीएसई की सूचना के अनुसार ***(परिशिष्ट-1.1.1)*** 31 मार्च 2020 तक 31 एसपीएसई में ₹ 19,696.52 करोड़ का निवेश (पूँजीगत और दीर्घकालिक ऋण) था। इस कुल निवेश में 23.40 प्रतिशत चुकता पूँजी और 76.60 प्रतिशत दीर्घकालिक ऋण शामिल थे। 31 मार्च 2020 तक एसपीएसई में निवेश का क्षेत्रवार सारांश **तालिका 1.1** में दिया गया है:

तालिका 1.1: एसपीएसई में क्षेत्रवार निवेश

क्षेत्र का नाम	सरकारी कंपनियाँ		कुल	निवेश (₹ करोड़ में)		
	कार्यशील	निष्क्रिय		अंशपूँजी	दीर्घकालिक ऋण	कुल
(1)	(2)	(3)	(4)=(2)+(3)	(5)	(6)	(7)=(5)+(6)
ऊर्जा	5	3	8	4,244.02	15,037.27	19281.29
वित्त	1	0	1	1.01	0	1.01

[5] कर्णपुरा एनर्जी लिमिटेड, झारबिहार कोलियरी लिमिटेड और पतरातू एनर्जी लिमिटेड

सेवा	8	0	8	49.33	43.96	93.29
आधारभूत संरचना	6	0	6	241.14	0	241.14
अन्य	8	0	8	74.36	5.43	79.79
कुल	**28**	**3**	**31**	**4,609.86**	**15,086.66**	**19,696.52**

(स्रोतः एसपीएसई द्वारा प्रदत्त सूचना तथा 2019-20 के प्राप्त लेखाओं से संकलित)

झारखण्ड सरकार, बैंकों और वित्तीय संस्थानों से अंश-पूँजी के 92.06 प्रतिशत (₹ 4,244.02 करोड़) और ऋण के 99.67 प्रतिशत (₹ 15,037.27 करोड़) का मुख्य हिस्सा ऊर्जा क्षेत्र में था।

ऊर्जा क्षेत्र के एसपीएसई में निवेश

31 मार्च 2020 तक ऊर्जा क्षेत्र के उद्यमों में निवेश का गतिविधि-वार सारांश **तालिका 1.2** में दर्शाया गया है।

तालिका 1.2: ऊर्जा क्षेत्र के एसपीएसई में गतिविधि-वार निवेश

गतिविधि	ऊर्जा क्षेत्र एसपीएसई की संख्या	निवेश (₹ करोड़ में)		
		अंश-पूँजी	दीर्घकालीन ऋण	कुल
ऊर्जा उत्पादन	2	145.13	715.90	861.03
ऊर्जा संचरण	1	975.06	3,735.22	4,710.28
ऊर्जा वितरण	1	3,111.03	10,529.55	13,640.58
अन्य[6]	4	12.80	56.60	69.40
कुल	**8**	**4,244.02**	**15,037.27**	**19,281.29**

(स्रोतः एसपीएसई से प्राप्त सूचना)

31 मार्च 2020 तक आठ ऊर्जा क्षेत्र के एसपीएसई में कुल निवेश (अंश-पूँजी एवं दीर्घकालिक ऋण) ₹ 19,281.29 करोड़ था। निवेश में ₹ 4,244.02 करोड़ (22.01 प्रतिशत) अंश-पूँजी और ₹ 15,037.27 करोड़ (77.99 प्रतिशत) दीर्घकालिक ऋण शामिल था।

2015-16 से 2019-20 की अवधि के दौरान ऊर्जा क्षेत्र के एसपीएसई में कुल निवेश 43.90 प्रतिशत से बढ़ गयी थी। चुकता पूँजी स्थिर थी और केवल दीर्घकालिक ऋण बढ़ गए थे। इसके परिणामस्वरूप 2015-16 से 2019-20 के बीच ऋण-अंशपूँजी अनुपात 2.16:1 से 3.54:1 तक बढ़ गया था, जैसा कि **तालिका 1.3** में दिखाया गया है।

तालिका 1.3: ऊर्जा क्षेत्र के एसपीएसई का ऋण-अंश-पूँजी अनुपात

(₹ करोड़ में)

वर्ष	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20
ऋण	9,155.12	10,419.84	12,218.40	14,561.42	15,037.27
अंश-पूँजी	4,244.02	4,244.02	4,244.02	4,244.02	4,244.02
ऋण-अंशपूँजी अनुपात	2.16:1	2.46:1	2.88:1	3.43:1	3.54:1

एसपीएसई में निवेश (गैर–ऊर्जा क्षेत्र)

[6] झारखण्ड उर्जा विकास निगम लिमिटेड, कर्णपुरा एनर्जी लिमिटेड, झारबिहार कोलियरी लिमिटेड और पतरातू एनर्जी लिमिटेड

31 मार्च 2020 तक सभी एसपीएसई (गैर-ऊर्जा क्षेत्र) में क्षेत्रवार निवेश निम्नवत है:

तालिका 1.4: एसपीएसई में क्षेत्रवार निवेश (गैर-ऊर्जा क्षेत्र)

क्षेत्र	एसपीएसई की संख्या	निवेश (₹ करोड़ में)		
		अंशपूँजी	दीर्घकालीन ऋण	कुल
सामाजिक क्षेत्र	9	32.36	49.21	81.57
प्रतिस्पर्धी वातावरण वाले एसपीएसई	12	318.48	0.18	318.66
अन्य	2	15.00	0.00	15.00
कुल	**23**	**365.84**	**49.39**	**415.23**

(स्रोत: एसपीएसई से प्राप्त सूचना के आधार पर संकलित)

* *इसमें चुकता पूँजी, शेयर आवेदन की राशि और केंद्र सरकार, राज्य सरकारों एवं सार्वजनिक वित्तीय संस्थानों और वाणिज्यिक बैंकों सहित अन्य से ऋण का मूलधन राशि का गैर-वर्तमान घटक शामिल है।*

31 मार्च 2020 तक, गैर-ऊर्जा क्षेत्र के 23 एसपीएसई में कुल निवेश (अंश-पूँजी और दीर्घकालिक ऋण) ₹ 415.23 करोड़ था। निवेश में ₹ 365.84 करोड़ (88.11 प्रतिशत) अंश-पूँजी और ₹ 49.39 करोड़ (11.89 प्रतिशत) दीर्घकालिक ऋण शामिल था, जैसा कि ***परिशिष्ट 1.1.1*** में दिखाया गया है।

एसपीएसई को बजटीय सहायता

झारखण्ड सरकार वार्षिक बजट के माध्यम से विभिन्न रूपों में एसपीएसई को वित्तीय सहायता प्रदान करती है।

ऊर्जा क्षेत्र के एसपीएसई

ऊर्जा क्षेत्र के एसपीएसई के संबंध में मार्च 2020 को समाप्त पिछले तीन वर्षों की अंश-पूँजी, ऋण, अनुदान/सब्सिडी, बट्टे खाते में डाले गए ऋण तथा वर्ष के दौरान अंश-पूँजी में परिवर्तित कार्यशील कंपनियों के ऋण हेतु बजटीय व्यय का विस्तृत सारांश **तालिका 1.5** में निम्नवत है:

तालिका 1.5: ऊर्जा क्षेत्र के एसपीएसई को बजटीय सहायता का विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	विवरण[7]	2017-18		2018-19		2019-20	
		एसपीएसई की संख्या	राशि	एसपीएसई की संख्या	राशि	एसपीएसई की संख्या	राशि
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
(i)	अंश-पूँजी	0	0	0	0	0	0
(ii)	ऋण	2	1776.88	2	1461.77	2	453.22
(iii)	अनुदान/सब्सिडी	1	3000	1	1250	1	600
(iv)	**कुल व्यय (i+ii+iii)**	2	4776.88	2	2711.77	2	1053.22
(v)	ऋण चुकौती बट्टे खाते में डाली गई	-	-	-	-	-	-
(vi)	ऋण अंश-पूँजी में परिवर्तित	-	-	-	-	-	-
(vii)	गारंटी[8] जारी	-	-	1	450	-	-
(viii)	प्रतिबद्ध[9] गारंटी	-	-	1	450	-	-

(स्रोत: एसपीएसई से प्राप्त सूचना)

* *कुछ एसपीएसई को एक से अधिक श्रेणी के तहत राज्य के बजट से सहायता प्राप्त हुई।*

---

7 केवल राज्य बजट से निर्गमित राशि

8 किसी विशेष वर्ष के दौरान एसपीएसई को जारी की गई सरकारी गारंटी

9 किसी विशेष वर्ष के अंत में एसपीएसई के संदर्भ में सरकार की गारंटी का अंतिम शेष

ऊर्जा क्षेत्र के एसपीएसई की वार्षिक बजटीय सहायता 2017-18 के ₹ 4,776.88 करोड़ से घटकर 2019-20 में ₹ 1,053.22 करोड़ हो गई थी। वर्ष 2019-20 की बजटीय सहायता में ₹ 453.22 करोड़ एवं ₹ 600 करोड़ क्रमशः ऋण एवं अनुदान के रूप में शामिल थे।

भारत के संविधान के अनुच्छेद 293(1) के तहत झारखण्ड सरकार गारंटी प्रदान करती है। वर्ष 2018-19 के दौरान बैंकों/वित्तीय संस्थानों से ऋण प्राप्त करने हेतु जेबीवीएनएल झारखण्ड सरकार से ₹ 450 करोड़ की गारंटी प्रतिबद्धता प्राप्त की। वर्ष 2019-20 के दौरान कोई नई गारंटी जारी नहीं की गई थी।

गैर–ऊर्जा क्षेत्र के एसपीएसई

गैर-ऊर्जा क्षेत्र के एसपीएसई के संबंध में मार्च 2020 को समाप्त पिछले तीन वर्षों की अंश-पूँजी, ऋण, अनुदान/ सब्सिडी, बट्टे खाते में डाले गए ऋण तथा वर्ष के दौरान अंश-पूँजी में परिवर्तित कार्यशील कंपनियों के ऋण हेतु बजटीय व्यय का विस्तृत सारांश **तालिका 1.6** में निम्नवत है

तालिका 1.6: एसपीएसई को बजटीय सहायता का विवरण (गैर-ऊर्जा क्षेत्र)

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	विवरण[10]	2017-18		2018-19		2019-20	
		एसपीएसई की संख्या	राशि	एसपीएसई की संख्या	राशि	एसपीएसई की संख्या	राशि
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
(i)	अंश-पूँजी	2	70	3	67.08	1	0.92
(ii)	ऋण		0		0		0
(iii)	अनुदान/सब्सिडी		0		0		0
(iv)	**कुल व्यय (i+ii+iii)**	2	70	3	67.08	1	0.92
(v)	ऋण चुकौती बट्टे खाते में डाली	-	-	-	-	-	-
(vi)	ऋण अंश-पूँजी में परिवर्तित	-	-	-	-	-	-
(vii)	गारंटी जारी	-	-	-	-	-	-
(viii)	प्रतिबद्ध गारंटी	-	-	-	-	-	-

(स्रोत: एसपीएसई से प्राप्त सूचना)

** कुछ एसपीएसई को एक से अधिक श्रेणी के तहत राज्य के बजट से सहायता प्राप्त हुई।*

गैर-ऊर्जा क्षेत्र के एसपीएसई की वार्षिक बजटीय सहायता 2017-18 के ₹ 70.00 करोड़ से घटकर 2019-20 में ₹ 0.92 करोड़ हो गई।

एसपीएसई के दीर्घकालिक ऋणों का विश्लेषण

कंपनियों द्वारा सरकार, बैंकों एवं अन्य वित्तीय संस्थानों से प्राप्त ऋण चुकाने की क्षमता का आकलन करने के लिए एसपीएसई के दीर्घकालिक ऋण, जो वर्ष 2015-16 से 2019-20 के दौरान प्रभावी सुविधा थी, का विश्लेषण किया गया। इसका आकलन ब्याज कवरेज अनुपात तथा ऋण टर्नओवर अनुपात के माध्यम से किया जाता है।

[10] केवल राज्य बजट से निर्गमित राशि

ऊर्जा क्षेत्र के एसपीएसई का ब्याज कवरेज अनुपात

ब्याज कवरेज अनुपात का उपयोग किसी एसपीएसई के बकाया ऋण पर ब्याज भुगतान करने की क्षमता को निर्धारित करने के लिए किया जाता है और इसकी गणना एसपीएसई के ब्याज एवं कर (ईबीआईटी) से पूर्व आय को उसी अवधि का ब्याज व्यय से विभाजित करके की जाती है। अनुपात जितना कम होगा, एसपीएसई की ऋण पर ब्याज भुगतान करने की क्षमता उतनी ही कम होगी। एक से नीचे का ब्याज कवरेज अनुपात यह इंगित करता है कि एसपीएसई अपने ब्याज पर खर्च को पूरा करने हेतु पर्याप्त राजस्व उत्पन्न नहीं कर रहा है। 2015-16 से 2019-20 की अवधि में ब्याज भार वाले ऊर्जा क्षेत्र के एसपीएसई का ब्याज कवरेज अनुपात (आईसीआर) का विवरण **तालिका 1.7** में दिया गया है:

तालिका 1.7: ऊर्जा क्षेत्र के एसपीएसई का ब्याज कवरेज अनुपात

(₹ करोड़ में)

वर्ष	ब्याज एवं कर पूर्व आय (इबीआईटी)	ब्याज	कंपनियों की संख्या जिनमें सरकार, बैंक एवं वित्तीय संस्थान के ऋण का दायित्व था	कंपनियों की संख्या जिनका ब्याज कवरेज अनुपात 1 से कम था
2015-16	-1,066.28	250.28	3	3
2016-17	-1,656.84	310.94	3	3
2017-18	-138.49	645.85	3	3
2018-19	-1,028.70	687.17	3	3
2019-20	-1,514.60	793.59	3	3

(स्रोत: संबंधित वर्षों के लिए एसपीएसई के नवीनतम उपलब्ध लेखाओं के आधार पर संकलित)

2019-20 के दौरान सरकार के साथ-साथ बैंकों एवं अन्य वित्तीय संस्थानों से ऋण की देनदारी वाले सभी पाँच ऊर्जा क्षेत्र के एसपीएसई का ब्याज कवरेज अनुपात ऋणात्मक था क्योंकि वे घाटे में चल रहे हैं।

ऊर्जा क्षेत्र के एसपीएसई का ऋण टर्नओवर अनुपात

पिछले पाँच वर्षों[11] के दौरान, ऋण की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर (सीएजीआर) 0.55 प्रतिशत थी जबकि ऊर्जा क्षेत्र के पाँच कार्यशील एसपीएसई के टर्नओवर का सीएजीआर 0.11 प्रतिशत था। परिणामस्वरूप, सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) के विरुद्ध ऊर्जा क्षेत्र के एसपीएसई का ऋण-टर्नओवर अनुपात 2015-16 से 2017-18 तक में जो बढ़ती प्रवृत्ति में था, 2018-19 के दौरान घटा और 2019-20 में और गिर गया, जैसा कि **तालिका 1.8** में दिखाया गया है:

तालिका 1.8: ऊर्जा क्षेत्र के एसपीएसई का ऋण टर्नओवर अनुपात

(₹ करोड़ में)

विवरण	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20
सरकार तथा अन्य (बैंक तथा वित्तीय संस्थानों) से ऋण	9155.12	10419.84	12218.4	14561.42	15037.3
टर्नओवर	3,717.16	3,816.87	4,140.02	5,055.10	6,229.20
ऋण-टर्नओवर अनुपात	2.46:1	2.73:1	2.95:1	2.88:1	2.41:1

(स्रोत: एसपीएसई से प्राप्त सूचना के आधार पर संकलित)

[11] आधार वर्ष 2014-15 - ऋण: 1,688.51 करोड़, टर्नओवर: 3,620.31 करोड़ रुपये

ऋण-टर्नओवर अनुपात ग्राहकों को दिए गए उधार के प्रबंधन एवं संग्रहण में किसी फर्म की दक्षता को मापता है। वर्ष 2015-16 से 2019-20 के दौरान ऋण-टर्नओवर अनुपात 2.41 और 2.95 के बीच रहा, जो उच्चतर स्तर पर था।

गैर–ऊर्जा क्षेत्र के एसपीएसई का ब्याज कवरेज अनुपात

गैर-ऊर्जा क्षेत्र के एसपीएसई द्वारा आरम्भ से कोई सब्याज ऋण नहीं लिया गया था।

1.1.3 सरकारी कंपनियों से प्रतिफल

ऊर्जा क्षेत्र के एसपीएसई का प्रदर्शन

30 दिसंबर 2020 तक के नवीनतम अंतिमीकृत लेखाओं के अनुसार, ऊर्जा क्षेत्र की सात (चार कार्यशील एवं तीन गैर-कार्यशील) एसपीएसई की वित्तीय स्थिति और कार्यकारी परिणाम ***परिशिष्ट-1.1.2*** में वर्णित है।

किसी कंपनी के प्रदर्शन का आकलन पारंपरिक रूप से सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) पर टर्नओवर का प्रतिशत, निवेश पर प्रतिफल, अंश-पूँजी पर प्रतिफल तथा नियोजित पूँजी पर प्रतिफल के माध्यम से किया जाता है।

जीएसडीपी पर टर्नओवर का प्रतिशत

मार्च 2020 को समाप्त पाँच वर्षों की अवधि का ऊर्जा क्षेत्र के एसपीएसई के नवीनतम उपलब्ध लेखाओं के अनुसार टर्नओवर तथा झारखण्ड के जीएसडीपी का विस्तार **तालिका 1.9** में दिखाया गया है:

तालिका 1.9: झारखण्ड के जीएसडीपी के विरुद्ध ऊर्जा क्षेत्र के एसपीएसई के टर्नओवर का विवरण

(₹ करोड़ में)

विवरण	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20
ऊर्जा क्षेत्र के एसपीएसई के टर्नओवर	3717.16	3816.87	4140.02	5055.10	6229.20
पूर्ववर्ती वर्ष के सापेक्ष प्रतिशत में टर्नओवर परिवर्तन	2.68	2.68	8.47	22.10	23.23
झारखण्ड का जीएसडीपी	2,06,613	2,36,250	2,69,816	2,97,204	3,28,598
पूर्ववर्ती वर्ष के सापेक्ष प्रतिशत में जीएसडीपी परिवर्तन	-5.45	14.34	14.21	10.15	10.56
झारखण्ड के सकल घरेलू उत्पाद में टर्नओवर का प्रतिशत	1.80	1.62	1.53	1.70	1.90

(स्रोत: एसपीएसई और जीएसडीपी के आँकड़ों के आधार पर संकलित पिछली लेखा परीक्षा रिपोर्ट और वित्त लेखा, खंड-I, 2019-20, झारखण्ड सरकार के जानकारी के अनुसार)

वर्ष 2019-20 में जीएसडीपी के सापेक्ष एसपीएसई का टर्नओवर 1.90 प्रतिशत था और यह पिछले तीन वर्षों के दौरान क्रमश: बढ़ी थी। पिछले पाँच वर्षों के दौरान जीएसडीपी की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर (सीएजीआर) 8.50 प्रतिशत थी, जबकि उसी अवधि में ऊर्जा क्षेत्र के एसपीएसई के टर्नओवर में 11.46 प्रतिशत का सीएजीआर दर्ज किया गया।

निवेश पर प्रतिफल

संबंधित वर्षों के 30 सितंबर तक अंतिमीकृत नवीनतम लेखाओं के अनुसार, वर्ष 2015-16 से 2019-20 के दौरान एसपीएसई द्वारा अर्जित लाभ/हानि[12] की संपूर्ण स्थिति नीचे **चार्ट 1.1** में दर्शायी गयी है:

चार्ट 1.1: ऊर्जा क्षेत्र के एसपीएसई द्वारा अर्जित लाभ/उठाई गई हानि

(₹ करोड़ में)

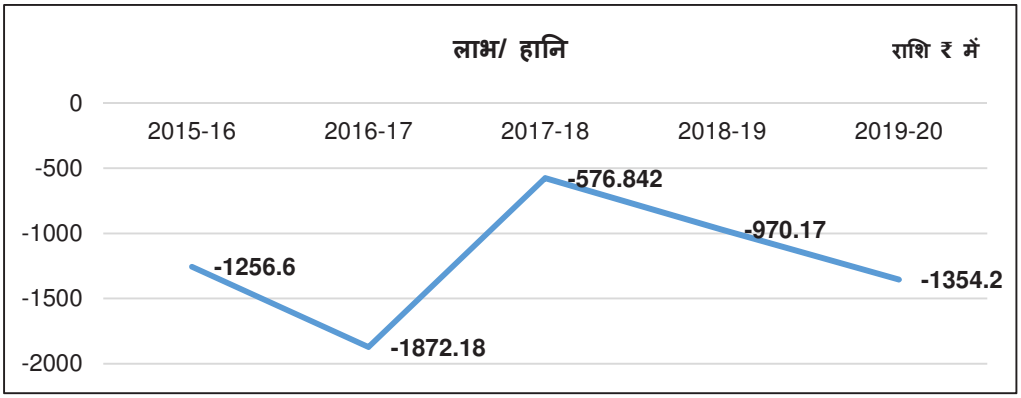

(स्रोत: संबंधित वित्तीय वर्षों के बाद 30 सितंबर तक नवीनतम लेखाओं के अनुसार)

ऊर्जा क्षेत्र के एसपीएसई द्वारा वर्ष 2015-16 से 2019-20 के दौरान ₹ 6,029.99 करोड़ की कुल हानि उठाई गयी थी।

निवल मूल्य/ पूँजी का अपक्षरण

निवल मूल्य का अर्थ कंपनी की प्रदत्त पूँजी, निर्बंध आरक्षित निधियाँ तथा अधिशेष का कुल योग घटाव संचित हानियाँ एवं स्थगित राजस्व व्यय है। वास्तव में यह, शेयरधारकों के लिए एक कंपनी कितनी मूल्यवान है, की एक माप है तथा यह अंशधारक कोष के रूप में भी संदर्भित होता है। ऋणात्मक निवल मूल्य यह दर्शाता है कि शेयरधारकों द्वारा किया गया समस्त निवेश संचित हानियों एवं स्थगित राजस्व व्यय में समाप्त हो चुका है। नीचे दी गई **तालिका 1.10** वर्ष 2015-16 से 2019-20 की अवधि के दौरान कार्यशील ऊर्जा क्षेत्र के एसपीएसई की कुल चुकता पूँजी, कुल निर्बंध आरक्षित निधियाँ, कुल अधिशेष, कुल संचित हानि और निवल मूल्य दर्शाती है:

तालिका 1.10 : कार्यशील ऊर्जा क्षेत्र के एसपीएसई का निवल मूल्य

(₹ करोड़ में)

वर्ष	एसपीएसई की संख्या	प्रदत पूँजी	निर्बंध आरक्षित निधियाँ एवं अधिशेष	संचित लाभ (+)/ हानि (-)	निवल मूल्य
1	2	3	4	5	6=3+4+5
2015-16	7	4,131.42	0	-2,048.12	2,083.29
2016-17	7	4,131.42	0	-3,904.92	226.5
2017-18	7	4,131.52	0	-5,658.41	-1,526.89
2018-19	7	4,131.52	0	-7,014.83	-2,883.31
2019-20	7[13]	4,131.52	0	-8,153.65	-4,022.13

[12] आँकड़े संबंधित वर्षों के नवीनतम वित्तीय विवरणों के अनुसार हैं ।

[13] तेनुघाट विद्युत निगम लिमिटेड के वित्तीय विवरण वित्तीय वर्ष 2014-15 तक के प्राप्त हुए हैं इसलिए केवल सात एसपीएसई को लिया गया है।

(स्रोत: एसपीएसई के नवीनतम उपलब्ध लेखाओं के आधार पर संकलित)

जैसा कि देखा जा सकता है, वर्ष 2015-16 से 2016-17 के दौरान कार्यशील ऊर्जा क्षेत्र के एसपीएसई का संयुक्त निवल मूल्य धनात्मक था। संचित घाटे में वृद्धि के कारण 2015-16 में ₹ 2083.29 करोड़ का निवल मूल्य 2019-20 में उल्लेखनीय रूप से घटकर ₹ (-)4022.13 करोड़ हो गया।

लाभांश का भुगतान

झारखण्ड सरकार ने कोई लाभांश नीति तैयार नहीं की। ऊर्जा क्षेत्र के किसी भी एसपीएसई ने लाभ अर्जित नहीं की और इसीलिए निगमित होने के बाद से लाभांश की घोषणा नहीं की थी।

एसपीएसई (गैर-ऊर्जा क्षेत्र) का प्रदर्शन

30 दिसंबर 2020 तक अन्तिमीकृत उनके नवीनतम लेखाओं के अनुसार 23 एसपीएसई (गैर-ऊर्जा क्षेत्र) की वित्तीय स्थिति और कार्य परिणाम ***परिशिष्ट-1.1.2*** में विस्तृत हैं।

31 मार्च 2020 को समाप्त पिछले पाँच वित्तीय वर्षों के प्रत्येक वर्ष 30 दिसंबर तक अन्तिमीकृत एसपीएसई के नवीनतम लेखाओं से उनके प्रदर्शन का विश्लेषण किया गया एवं इसके बाद उसकी चर्चा की गई है।

किसी कंपनी के प्रदर्शन का आकलन पारंपरिक रूप से राज्य के जीडीपी पर टर्नओवर का प्रतिशत, निवेश पर प्रतिफल, अंश-पूँजी पर प्रतिफल तथा नियोजित पूँजी पर प्रतिफल के माध्यम से किया जाता है।

राज्य के जीडीपी पर टर्नओवर का प्रतिशत

तालिका 1.11 मार्च 2020 को समाप्त पाँच वर्षों की अवधि के लिए एसपीएसई (गैर-ऊर्जा क्षेत्र) का टर्नओवर और झारखण्ड के जीएसडीपी का विवरण दिखाती है:

तालिका 1.11 : झारखण्ड के जीएसडीपी के विरुद्ध गैर-ऊर्जा क्षेत्र के एसपीएसई के टर्नओवर का विवरण

(₹ करोड़ में)

विवरण	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20
टर्नओवर	1349.21	1431.3	1502.24	1535.33	1510.14
पिछले वर्ष के सापेक्ष टर्नओवर में प्रतिशत परिवर्तन	9.49	6.08	4.96	2.20	-1.64
झारखण्ड का जीएसडीपी	206613	236250	269816	297204	328598
पिछले वर्ष के सापेक्ष जीएसडीपी में प्रतिशत परिवर्तन	-5.45	14.34	14.21	10.15	10.56
झारखण्ड के सकल घरेलू उत्पाद में टर्नओवर का प्रतिशत	0.65	0.61	0.56	0.52	0.46

(स्रोत: एसपीएसई और जीएसडीपी के आँकड़ों के आधार पर संकलित पिछली लेखा परीक्षा रिपोर्ट और वित्त लेखा, खंड-I, 2019-20 , झारखण्ड सरकार के जानकारी के अनुसार)

उपरोक्त तालिका से देखा जा सकता है कि वर्ष 2019-20 में जीएसडीपी के सापेक्ष एसपीएसई (गैर-ऊर्जा क्षेत्र) का टर्नओवर 0.46 प्रतिशत था और यह 2015-16 से 2019-20 तक क्रमश: घटती प्रवृत्ति में दिखाई दी। पिछले पाँच वर्षों के दौरान राज्य जीएसडीपी की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर (सीएजीआर) 8.50 प्रतिशत थी। उसीप्रकार, उसी वित्तीय वर्ष में गैर-ऊर्जा क्षेत्र के एसपीएसई के टर्नओवर का सीएजीआर 4.15 प्रतिशत था।

निवेश पर प्रतिफल

निवेश पर वास्तविक प्रतिफल की दर, कुल निवेश के वर्तमान मूल्य (पीवी) पर लाभ या हानि का प्रतिशत है। वर्ष 2015-16 से 2019-20 के दौरान सभी 23 एसपीएसई (गैर-ऊर्जा क्षेत्र) द्वारा अर्जित लाभ/ हानि की संपूर्ण स्थिति **चार्ट 1.2** में नीचे दर्शाई गई है:

चार्ट 1.2 : एसपीएसई (गैर-ऊर्जा क्षेत्र) द्वारा इन वर्षों के दौरान अर्जित/उपगत लाभ/ हानि

(₹ करोड़ में)

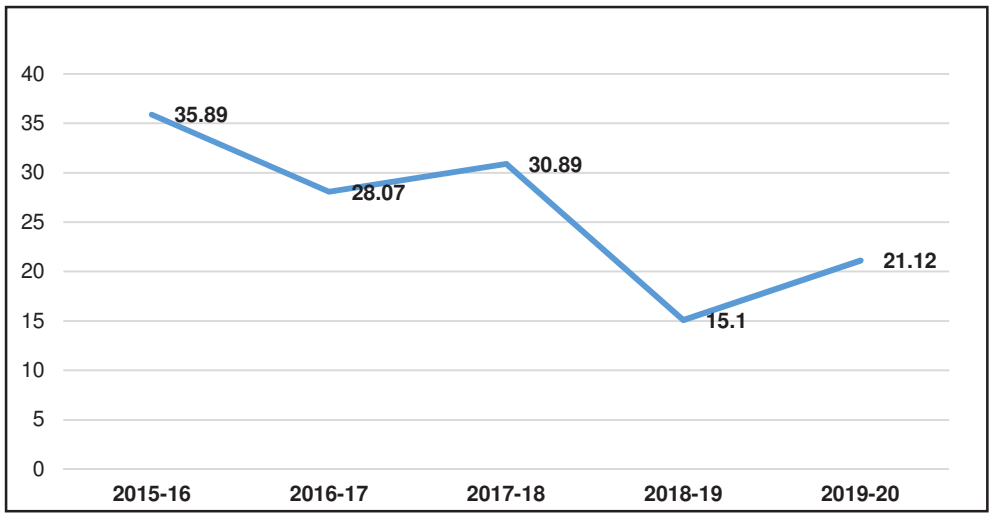

(स्रोत: संबंधित वित्तीय वर्षों के 30 सितंबर तक के नवीनतम लेखाओं के अनुसार)

वर्ष 2015-16 में इन एसपीएसई द्वारा ₹ 35.89 करोड़ का अर्जित लाभ 2019-20 में घटकर ₹ 21.12 करोड़ रह गया था।

निवल मूल्य/ पूँजी का अपक्षरण

निवल मूल्य का अर्थ कंपनी की प्रदत्त पूँजी, निर्बंध आरक्षित निधियाँ तथा अधिशेष का कुल योग घटाव संचित हानियाँ एवं स्थगित राजस्व व्यय है। वास्तव में यह, शेयरधारकों के लिए एक कंपनी कितनी मूल्यवान है, की एक माप है तथा यह अंशधारक कोष के रूप में भी संदर्भित होता है। ऋणात्मक निवल मूल्य यह दर्शाता है कि शेयरधारकों द्वारा किया गया समस्त निवेश संचित हानियों एवं स्थगित राजस्व व्यय में समाप्त हो चुका है। गैर-ऊर्जा क्षेत्र में 13 कार्यशील एसपीएसई की कुल चुकता पूँजी (शेयर आवेदन राशि सहित) और निर्बंध आरक्षित निधियाँ और अधिशेष उनके नवीनतम लेखाओं[14] के अनुसार क्रमशः ₹ 322.96 करोड़ और ₹ 26.04 करोड़ थे जबकि संचित हानि ₹ शून्य थी जिसके परिणाम में सकारात्मक निवल मूल्य ₹ 349.00 करोड़ था। प्रत्येक एसपीएसई (गैर-ऊर्जा क्षेत्र) का निवल मूल्य ***परिशिष्ट 1.1.2*** में दिया गया है।

नीचे दी गई **तालिका 1.12** वर्ष 2015-16 से 2019-20 की अवधि के दौरान कार्यशील एसपीएसई की कुल चुकता पूँजी, कुल निर्बंध आरक्षित निधियाँ, अधिशेष, संचित हानि और निवल मूल्य दर्शाती है:

[14] आँकड़े नवीनतम वर्ष के अनुसार हैं जिसके लिए एसपीएसई के खातों को अंतिम रूप दिया जाता है।

तालिका 1.12 : गैर-ऊर्जा क्षेत्र के कार्यशील एसपीएसई का निवल मूल्य

(₹ करोड़ में)

वर्ष	एसपीएसई की संख्या*	प्रदत पूँजी (शेयर आवेदन शुल्क सहित)	निर्बंध आरक्षित निधियाँ	अधिशेष	संचित हानि	निवल मूल्य
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*7=(3)+(4)+(5)-(6)*
2015-16	12	85.82	0	283.31	0	369.13
2016-17	13	151.15	0	106.38	0	257.53
2017-18	13	169.16	0	135.57	0	304.73
2018-19	13	154.02	0	52.05	0	206.07
2019-20	13	322.96	0	26.04	0	349.00

(स्रोत: एसपीएसई के नवीनतम उपलब्ध लेखाओं के आधार पर संकलित)

*** एसपीएसई जिन्होंने स्थापना के बाद से अपना पहला खाता प्रस्तुत नहीं किया था, को बाहर रखा गया है।**

जैसा कि तालिका से देखा जा सकता है, पाँच-वर्ष की अवधि के दौरान कार्यशील एसपीएसई का संयुक्त निवल मूल्य धनात्मक था। शेयर पूँजी में वृद्धि के बावजूद वर्ष 2015-16 से 2019-20 में निवल मूल्य घट गई थी।

अंश-पूँजी पर लाभांश भुगतान

झारखण्ड सरकार ने कोई लाभांश नीति तैयार नहीं की। गैर-ऊर्जा क्षेत्र के 23 कार्यशील एसपीएसई में से कोई भी गैर-ऊर्जा क्षेत्र के एसपीएसई निगमन के बाद लाभांश की घोषणा नहीं की थी, जबकि वर्ष 2019-20 के दौरान दो गैर-ऊर्जा क्षेत्र के एसपीएसई ने लाभ अर्जित किया था।

1.1.4 सरकारी कंपनियों की परिचालन दक्षता

किसी एसपीएसई की लाभप्रदता तीन अनुपातों के माध्यम से पता लगाया जाता है, यथा- निवेश पर वास्तविक प्रतिफल की दर (आरओआरआर), अंश-पूँजी या अंशधारक कोष पर प्रतिफल की दर तथा नियोजित पूँजी पर प्रतिफल की दर जैसा कि नीचे चर्चा की गई है।

ऊर्जा क्षेत्र के एसपीएसई का लाभप्रदता

निवेश की ऐतिहासिक लागत आधारित वास्तविक प्रतिफल की दर (आरओआरआर)

निवेश पर वास्तविक प्रतिफल की दर, कुल निवेश के ऐतिहासिक या वर्तमान मूल्य (पीवी) पर लाभ या हानि का प्रतिशत है। आरओआरआर की गणना के लिए झारखण्ड सरकार, भारत सरकार एवं अन्य द्वारा कार्यशील ऊर्जा क्षेत्र के एसपीएसई में कुल निवेश का आँकड़ा अंश-पूँजी, ब्याज मुक्त ऋण और परिचालन एवं प्रबंधन के प्रयोजन हेतु अनुदान के साथ-साथ सब्सिडी को लेते हुए निकाला गया है।

31 मार्च 2020 तक इन सात एसपीएसई में झारखण्ड सरकार, भारत सरकार और अन्य की अंश-पूँजी कुल मिलाकर ₹ 4,131.42 करोड़ थी। अत: ऐतिहासिक लागत के आधार पर इन एसपीएसई में कुल निवेश ₹ 14,532.86 करोड़ का था। वर्ष 2015-16

से 2019-20 की अवधि के लिए ऐतिहासिक लागत के आधार पर ऊर्जा क्षेत्र में निवेश पर वास्तविक लाभ की दर **तालिका 1.13** में दी गई है:

तालिका 1.13 : निवेश की ऐतिहासिक लागत के आधार पर वास्तविक लाभ की दर

(₹ करोड़ में)

वर्ष	वर्ष के लिए कुल आय	ऐतिहासिक लागत के आधार पर परिचालन और प्रबंधन व्यय के लिए अंश-पूँजी, ब्याज-रहित ऋण और अनुदान /सब्सिडी के रूप में निवेश				निवेश की ऐतिहासिक लागत के आधार पर वास्तविक लाभ की दर (प्रतिशत में)
		झारखण्ड सरकार द्वारा	भारत सरकार द्वारा	अन्य द्वारा	कुल निवेश	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)=(3)+(4) +(5)*	*(7)={(2)/(6)}* 100*
2015-16	-1256.60	8482.86	0	0	8482.86	-14.81
2016-17	-1872.18	9682.86	0	0	9682.86	-19.33
2017-18	-576.84	12682.86	0	0	12682.86	-4.55
2018-19	-970.17	13932.86	0	0	13932.86	-6.96
2019-20	-1354.2	14532.86	0	0	14532.86	-9.32

(स्रोत: एसपीएसई से प्राप्त जानकारी के आधार पर संकलित)

उपरोक्त तालिका से यह देखा जा सकता है कि सभी पाँच वर्षों अर्थात् वर्ष 2015-16 से 2019-20 तक में ऊर्जा क्षेत्र में निवेश पर वास्तविक लाभ की दर ऋणात्मक था।

निवेश के वर्तमान मूल्य आधारित निवेश पर प्रतिफल

केवल ऐतिहासिक लागत के आधार पर प्रतिफल की पारंपरिक गणना मुद्रा के वर्तमान मूल्य की उपेक्षा करती है। पीवी के आधार पर आरओआरआर की गणना निवेश पर प्रतिफल के मूल्यांकन हेतु एक अधिक पर्याप्त विधि है। वर्ष 2015-16 से 2019-20 के दौरान ऊर्जा क्षेत्र के सभी एसपीएसई का निवेश पर प्रतिफल ऋणात्मक था। इसलिए, निवेश पर प्रतिफल की गणना वर्तमान मूल्य के आधार पर नहीं की जा सकी।

अंश-पूँजी पर प्रतिफल (आरओई)

किसी कंपनी की अंशधारक कोष की गणना शेयर आवेदन राशि सहित चुकता पूँजी और संचित हानियों एवं स्थगित राजस्व व्यय सहित शुद्ध निर्बंध आरक्षित निधियाँ निधि को जोड़कर की जाती है। शेयरधारकों की निधि को अंश-पूँजी के रूप में भी जाना जाता है। एक धनात्मक अंशधारक कोष का अर्थ है कि कंपनी के पास अपनी देनदारियों को आच्छादित करने के लिए पर्याप्त अस्तियाँ हैं जबकि ऋणात्मक अंशधारक कोष का अर्थ है कि देनदारियाँ अस्तियों से अधिक हैं।

ऊर्जा क्षेत्र के एसपीएसई, जिन्होंने अपने नवीनतम वार्षिक वित्तीय विवरणों के अनुसार लाभ अर्जित की अथवा हानि उठाई है, के संबंध में संगणित आरओई **तालिका 1.14** में वर्णित है:

तालिका 1.14 : ऊर्जा क्षेत्र के एसपीएसई के लाभ एवं हानि वार अंश-पूँजी पर प्रतिफल

(₹ करोड़ में)

	वर्ष	ऊर्जा क्षेत्र के एसपीएसई की संख्या	शुद्ध लाभ /हानि	अंशधारक कोष	आरओई (प्रतिशत में)
	(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)={(3)/(4)}*100*
हानि उठाने वाली	2015-16	7	-1256.60	2083.29	--
	2016-17	7	-1872.18	226.5	--
	2017-18	7	-576.84	-5565.14	--

	वर्ष	ऊर्जा क्षेत्र के एसपीएसई की संख्या	शुद्ध लाभ /हानि	अंशधारक कोष	आरओई (प्रतिशत में)
	(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)={(3)/(4)}*100*
	2018-19	7	-970.17	-2885.41	--
	2019-20	7	-1354.2	-4024.23	--

(स्रोत: एसपीएसई से प्राप्त जानकारी के आधार पर संकलित)

ऊर्जा क्षेत्र के एसपीएसई के अंश-पूँजी पर प्रतिफल की गणना नहीं की गई थी क्योंकि या तो उनका शुद्ध-लाभ अथवा अंशधारक कोष ऋणात्मक था।

नियोजित पूँजी पर प्रतिफल

नियोजित पूँजी पर प्रतिफल (आरओसीई) एक अनुपात है जो किसी कंपनी, जिससे उसकी पूँजी नियोजित है, की लाभप्रदता और दक्षता को मापता है । आरओसीई की गणना किसी कंपनी की ब्याज एवं कर पूर्व आय को नियोजित पूँजी[15] से विभाजित करके की जाती है।

वर्ष 2015-16 से 2019-20 की अवधि के दौरान लाभ अर्जित करने अथवा हानि उठाने वाली सभी एसपीएसई के कुल आरओसीई का विवरण **तालिका 1.15** में दिया गया है:

तालिका 1.15 : ऊर्जा क्षेत्र के एसपीएसई की नियोजित पूँजी पर लाभ और हानि-वार प्रतिफल

(₹ करोड़ में)

	वर्ष	एसपीएसई की संख्या	ईबीआईटी	नियोजित पूँजी पर प्रतिफल	आरओसीई (प्रतिशत)
	(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)={(3)/(4)}*100*
हानि उठाने वाली	2015-16	7	-1005.5	19145.93	-5.25
	2016-17	7	-1560.7	17379.12	-8.98
	2017-18	7	73.12	21344.51	0.34
	2018-19	7	-283	21036.76	-1.35
	2019-20	7	-560.61	25273.61	-2.22

(स्रोत: एसपीएसई से प्राप्त जानकारी के आधार पर संकलित)

वर्ष 2015-16 से 2019-20 के दौरान, ऊर्जा क्षेत्र के एसपीएसई का आरओसीई (-)8.98 प्रतिशत से 0.34 प्रतिशत के बीच था।

गैर-ऊर्जा क्षेत्र के एसपीएसई की लाभप्रदता

निवेश की ऐतिहासिक लागत आधारित वास्तविक प्रतिफल की दर

निवेश पर वास्तविक प्रतिफल की दर (आरओआरआर) की गणना के लिए झारखण्ड सरकार, भारत सरकार एवं अन्य द्वारा कार्यशील गैर-ऊर्जा क्षेत्र के एसपीएसई में कुल निवेश का आँकड़ा अंश-पूँजी, ब्याज मुक्त ऋण और परिचालन एवं प्रबंधन के प्रयोजन हेतु अनुदान के साथ-साथ सब्सिडी को लेते हुए निकाला गया है।

[15] नियोजित पूँजी = चुकता शेयर पूँजी + मुक्त संचय और अधिशेष + दीर्घकालिक ऋण - संचित हानियाँ - स्थगित राजस्व व्यय।

वर्ष 2015-16 से 2019-20 की अवधि के लिए निवेश की ऐतिहासिक लागत आधारित निवेश पर वास्तविक प्रतिफल (आरआरओआई) की क्षेत्रवार दर **तालिका 1.16** में दी गई है:

तालिका 1.16 ऐतिहासिक लागत के आधार पर निवेश पर वास्तविक लाभ की क्षेत्र-वार दर

(₹ करोड़ में)

वर्ष-वार/ क्षेत्र-वार विच्छेद	वर्ष के लिए कुल आय	ऐतिहासिक लागत आधारित अंश-पूँजी, ब्याज-रहित ऋण और परिचालन एवं प्रबंधन व्यय हेतु अनुदान/ सब्सिडी के रूप में निवेश				ऐतिहासिक लागत के आधार पर निवेश पर वास्तविक प्रतिफल (%)
		झारखण्ड सरकार	भारत सरकार	अन्य	कुल	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*6=(3)+(4)+(5)*	*7={(2)/(6)}*100*
2015-16						
सामाजिक क्षेत्र	31.94	73.76	0	0	73.76	43.30
प्रतिस्पर्धी क्षेत्र	-0.79	134.64	0	0	134.64	-0.59
अन्य	4.74	2	0	0	2	237.00
कुल	**35.89**	**210.40**	**0**	**0**	**210.40**	**17.06**
2016-17						
सामाजिक क्षेत्र	10.12	80.76	0	0	80.76	12.53
प्रतिस्पर्धी क्षेत्र	11.95	209.64	0	0	209.64	5.70
अन्य	6.02	2	0	0	2	301.00
कुल	**28.09**	**292.4**	**0**	**0**	**292.4**	**9.61**
2017-18						
सामाजिक क्षेत्र	26.75	85.77	0	0	85.77	31.19
प्रतिस्पर्धी क्षेत्र	-0.19	279.64	0	0	279.64	-0.07
अन्य	4.33	2	0	0	2	216.50
कुल	**30.89**	**367.41**	**0**	**0**	**367.41**	**8.41**
2018-19						
सामाजिक क्षेत्र	-0.29	96.94	0	0	96.94	-0.30
प्रतिस्पर्धी क्षेत्र	21.3	290.64	0	0	290.64	7.33
अन्य	4.81	15	0	0	15	32.07
कुल	**25.82**	**402.58**	**0.00**	**0.00**	**402.58**	**6.41**
2019-20						
सामाजिक क्षेत्र	0.73	97.86	0	0	97.86	0.75
प्रतिस्पर्धी क्षेत्र	21.11	290.64	0	0	290.64	7.26
अन्य	-0.2	15	0	0	15	-1.33
कुल	**21.64**	**403.50**	**0.00**	**0.00**	**403.50**	**5.36**

(स्रोत: एसपीएसई से प्राप्त जानकारी के आधार पर संकलित)

उपरोक्त तालिका से यह देखा जा सकता है कि जब वर्ष 2018-19 में सामाजिक क्षेत्र में एसपीएसई का ऋणात्मक प्रतिफल था, वहीं प्रतिस्पर्धी क्षेत्र में वर्ष 2015-16 तथा 2017-18 में ऋणात्मक प्रतिफल था और 'अन्य' क्षेत्र में भी 2019-20 में ऋणात्मक प्रतिफल था। ।

इन 23 एसपीएसई में पाँच[16] कार्यशील एसपीएसई शामिल थे जिन्होंने सितंबर 2020 तक प्रथम लेखा भी प्रस्तुत नहीं किया था। 23 कार्यशील एसपीएसई में से 22 सरकारी कंपनियाँ और एक सरकार-नियंत्रित अन्य कंपनी थीं।

निवेश के वर्तमान मूल्य के आधार पर निवेश पर प्रतिफल

केवल ऐतिहासिक लागत के आधार पर प्रतिफल की पारंपरिक गणना मुद्रा के वर्तमान मूल्य (पीवी) की उपेक्षा करती है। पीवी के आधार पर आरओआरआर की गणना निवेश पर प्रतिफल के मूल्यांकन हेतु एक अधिक पर्याप्त विधि है। वर्ष 2015-16 से 2019-20 के दौरान ऊर्जा क्षेत्र के सभी एसपीएसई का निवेश पर प्रतिफल ऋणात्मक था। इसलिए, निवेश पर प्रतिफल की गणना वर्तमान मूल्य के आधार पर नहीं की जा सकी।

समग्र रूप से इन 23 गैर-ऊर्जा क्षेत्र के एसपीएसई में वर्ष 2015-16 से 2019-20 तक निवेश पर वास्तविक प्रतिफल की दर धनात्मक थी। कार्यशील एसपीएसई (गैर-ऊर्जा क्षेत्र) में कुल निवेश के पीवी की गणना निम्नलिखित अवधारणाओं पर की गई:

- निवेश पर वास्तविक प्रतिफल की गणना के लिए व्याप्त अंश-पूँजी घटाव विनिवेश को निवेश माना गया था। आगे, ब्याज-रहित दीर्घकालिक ऋण तथा अनुदान/सब्सिडी के रूप में सहायता को निवेश व्याप्तिकरण हेतु लिया गया था। एसपीएसई द्वारा ऋण वापसी या उनके अंश-पूँजी/सब्याज ऋण में परिवर्तन के मामलों में पीवी की गणना उस अवधि में ब्याज रहित ऋण के घट-शेष पर की गयी।
- वर्तमान मूल्य निकालने हेतु संबंधित वित्तीय वर्ष[17] के लिए सरकारी ऋणों पर औसत ब्याज की दर को चक्रवृद्धि दर के रूप में लिया गया, क्योंकि यह वर्ष के दौरान निवेश पर लागत को दर्शाता है और इसलिए यह निवेश पर प्रतिफल की न्यूनतम अपेक्षित दर के रूप में विचारित होता है।

वर्ष 2015-16 से 2019-20 तक पाँच वर्षों के लिए ऐतिहासिक लागत और वर्तमान मूल्य पर निधि पर प्रतिफल की क्षेत्रवार तुलना **तालिका 1.17** में दी गई है:

---

16 झारखण्ड राज्य खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति निगम लिमिटेड, झारखण्ड संचार नेटवर्क लिमिटेड, आदित्यपुर इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर लिमिटेड, अटल बिहारी इनोवेशन लैब और राँची स्मार्ट सिटी निगम लिमिटेड

17 सरकारी ऋण पर औसत ब्याज दर संबंधित वर्ष के राज्य वित्त (झारखण्ड सरकार) पर सीएजी के प्रतिवेदनों से अपनाया गया था, जिसमें औसत भुगतित ब्याज दर = ब्याज भुगतान/ [(पिछले वर्ष की राजकोषीय देनदारियां + चालू वर्ष की राजकोषीय देनदारियां)/2]*100

तालिका 1.17 में ऐतिहासिक लागत और वर्तमान मूल्य पर निधियों पर प्रतिफल की क्षेत्रवार तुलना

(₹ करोड़ में)

वर्ष-वार/ क्षेत्र-वार विच्छेद	वर्ष के लिए कुल आय	ऐतिहासिक लागत आधारित अंश-पूँजी, आईएफएल और परिचालन एवं प्रबंधन व्यय हेतु अनुदान/ सब्सिडी के रूप में कुल निवेश	ऐतिहासिक लागत आधारित आरआरओआई (प्रतिशत में)	वर्ष के अंत में कुल निवेश का वर्तमान मूल्य	निवेश के वर्तमान मूल्य आधारित निवेश पर प्रतिफल (प्रतिशत में)
1	*2*	*3*	*4=(2)/(3)*100*	*5*	*6=(2)/(5)*100*
2015-16					
सामाजिक क्षेत्र	31.94	73.76	43.30	121.33	26.32
प्रतिस्पर्धी क्षेत्र	-0.79	134.64	0.00	181.74	0.00
अन्य	4.74	2	237	5.99	79.13
कुल	**35.89**	**210.4**	**17.06**	**309.07**	**11.61**
2016-17					
सामाजिक क्षेत्र	10.12	80.76	12.53	137.01	7.39
प्रतिस्पर्धी क्षेत्र	11.95	209.64	5.70	274.10	4.36
अन्य	6.02	2	301	6.40	94.06
कुल	**28.09**	**292.4**	**9.61**	**417.50**	**6.73**
2017-18					
सामाजिक क्षेत्र	26.75	85.77	31.19	151.93	17.61
प्रतिस्पर्धी क्षेत्र	-0.19	279.64	0.00	368.12	0.00
अन्य	4.33	2	216.50	6.85	63.21
कुल	**30.89**	**367.41**	**8.41**	**526.89**	**5.86**
2018-19					
सामाजिक क्षेत्र	-0.29	96.94	0.00	173.36	0.00
प्रतिस्पर्धी क्षेत्र	21.3	290.64	7.33	402.96	5.29
अन्य	4.81	15	32.07	21.09	22.81
कुल	**25.82**	**402.58**	**6.41**	**597.41**	**4.32**
2019-20					
सामाजिक क्षेत्र	0.73	97.86	0.75	185.33	0.39
प्रतिस्पर्धी क्षेत्र	21.11	290.64	7.26	428.51	4.93
अन्य	-0.2	15.00	0.00	22.43	0.00
कुल	**21.64**	**403.5**	**5.36**	**636.27**	**3.40**

(स्रोत: एसपीएसई से प्राप्त नवीनतम अन्तिमीकृत लेखाओं के आधार पर संकलित)

वर्ष 2015-16 से 2019-20 के दौरान ऐतिहासिक लागत आधारित कुल निवेश और वर्तमान मूल्य पर अर्जित प्रतिफल धनात्मक था और क्रमश: **5.36** से **17.06** प्रतिशत एवं **3.40** से **11.61** प्रतिशत के बीच था।

अंशपूँजी पर प्रतिफल

अंशपूँजी पर प्रतिफल (आरओई) वित्तीय प्रदर्शन की एक माप है, यह आकलन करने के लिए कि प्रबंधन अंशधारक कोष का उपयोग लाभ अर्जित करने हेतु कितना प्रभावी ढंग से कर रहा है और इसकी गणना शुद्ध आय (अर्थात्, करों के बाद शुद्ध लाभ) को अंशधारक कोष से विभाजित करके की जाती है, जिसे प्रतिशत के रूप में व्यक्त किया जाता है।

किसी कंपनी की अंशधारक कोष की गणना शेयर आवेदन राशि सहित चुकता पूँजी और संचित हानियों एवं स्थगित राजस्व व्यय सहित शुद्ध निर्बंध आरक्षित निधियाँ निधि को जोड़कर की जाती है। एक धनात्मक अंशधारक कोष का अर्थ है कि कंपनी के पास अपनी देनदारियों को आच्छादित करने के लिए पर्याप्त अस्तियाँ हैं जबकि ऋणात्मक अंशधारक कोष का अर्थ है कि देनदारियाँ अस्तियों से अधिक हैं। इसे निवल मूल्य के रूप में भी जाना जाता है।

सभी गैर-ऊर्जा क्षेत्र के एसपीएसई के संबंध में उनके नवीनतम वार्षिक वित्तीय लेखाओं के अनुसार क्षेत्रवार आरओई की गणना **तालिका 1.18** में की गई है

तालिका 1.18: क्षेत्र-वार अंशपूँजी पर प्रतिफल

(₹ करोड़ में)

वर्ष वार/ क्षेत्र वार विच्छेद	कर रहित शुद्ध लाभ /हानि	अंशधारक कोष	लाभांश (प्रतिशत में)
(1)	(2)	(3)	(4)={(2)/(3)}*100
2015-16			
सामाजिक क्षेत्र	31.94	265.37	12.04
प्रतिस्पर्धी क्षेत्र	-0.79	73.32	-1.08
अन्य	4.74	35.41	13.39
कुल	35.89	374.1	9.59
2016-17			
सामाजिक क्षेत्र	10.12	65.48	15.46
प्रतिस्पर्धी क्षेत्र	11.95	148.64	8.04
अन्य	6.02	41.43	14.53
कुल	28.09	255.55	10.99
2017-18			
सामाजिक क्षेत्र	26.75	91.5	29.23
प्रतिस्पर्धी क्षेत्र	-0.19	167.47	-0.11
अन्य	4.33	45.76	9.46
कुल	30.89	304.73	10.14
2018-19			
सामाजिक क्षेत्र	-0.29	12.91	-2.25
प्रतिस्पर्धी क्षेत्र	21.3	200.46	10.63
अन्य	3.47	49.14	7.06
कुल	24.48	262.51	9.33
2019-20			
सामाजिक क्षेत्र	0.73	14.71	4.96
प्रतिस्पर्धी क्षेत्र	21.11	282.44	7.47
अन्य	-0.20	17.87	-1.12
कुल	21.64	315.02	6.87

(स्रोत: एसपीएसई से प्राप्त नवीनतम अन्तिमीकृत लेखाओं के आधार पर संकलित)

वर्ष 2015-16 से 2019-20 के दौरान, अंश-पूँजी पर कुल प्रतिफल 6.87 प्रतिशत (2019-20) और 10.99 प्रतिशत (2016-17) के बीच रहा।

गैर-ऊर्जा क्षेत्र के कार्यशील एसपीएसई के संबंध में, जिन्होंने अपने नवीनतम वार्षिक वित्तीय विवरणों के अनुसार लाभ अथवा हानि अर्जित की है, संगणित आरओई **तालिका 1.19** में विस्तृत है:

तालिका 1.19 : कार्यशील एसपीएसई के लाभ अर्जन/हानि की अंश-पूँजी पर प्रतिलाभ

(₹ करोड़ में)

	वर्ष	एसपीएसई की संख्या	कर रहित शुद्ध लाभ /हानि	अंशधारक कोष	आरओई (प्रतिशत में)
	(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)={(3)/(4)}*100*
लाभ कमाने वाली	2015-16	10	42.35	390.98	10.83
	2016-17	9	28.81	191.87	15.02
	2017-18	7	47.88	217.1	22.05
	2018-19	7	41.86	267.26	15.66
	2019-20	6	38.20	308.88	12.37
हानि उठाने वाली	2015-16	2	-6.46	-16.88	-
	2016-17	3	-0.72	16.29	-
	2017-18	6	-16.99	89.23	-
	2018-19	5	-17.38	-4.75	-
	2019-20	5	-16.56	6.14	-
कुल*	2015-16	12	35.89	374.1	9.59
	2016-17	12	28.09	208.16	13.49
	2017-18	13	30.89	306.329	10.08
	2018-19	12	24.48	262.51	9.33
	2019-20	11	21.64	315.02	6.87

(स्रोत: एसपीएसई से प्राप्त नवीनतम अन्तिमीकृत लेखाओं के आधार पर संकलित)

** एसपीएसई जिन्होंने स्थापना के बाद से अपना पहला खाता जमा नहीं किया था, को बाहर रखा गया है।*

2019-20 तक के पाँच वर्षों में प्रत्येक वर्ष लाभ कमाने वाली एसपीएसई का अंशपूँजी पर प्रतिफल (आरओई) धनात्मक और 10.83 प्रतिशत (2015-16) से 22.05 प्रतिशत (2017-18) के बीच था।

नियोजित पूँजी पर प्रतिफल

नियोजित पूँजी पर प्रतिफल (आरओसीई) एक अनुपात है जो किसी कंपनी, जिससे उसकी पूँजी नियोजित है, की लाभप्रदता और दक्षता को मापता है । आरओसीई की गणना किसी कंपनी की ब्याज एवं कर पूर्व आय (इबीडीटी) को नियोजित पूँजी से विभाजित करके की जाती है।

वर्ष 2015-16 से वर्ष 2019-20 की अवधि के दौरान 13[18] गैर-ऊर्जा क्षेत्र के एसपीएसई के संबंध में क्षेत्रवार आरओसीई का विवरण **तालिका 1.20** में दिया गया है:

[18] केवल उन्हीं एसपीएसई को शामिल किया गया है जिनके वित्तीय विवरण वित्तीय वर्ष 2015-16 तक प्राप्त हुए थे। झारखण्ड औद्योगिक अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड, ग्रेटर राँची डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड, झारखण्ड राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड, झारखण्ड शहरी अवसंरचना विकास कंपनी लिमिटेड, झारखण्ड चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अवसंरचना विकास तथा क्रय निगम लिमिटेड, झारखण्ड राज्य अल्पसंख्यक वित्त विकास निगम, झारखण्ड रेलवे अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड, झारखण्ड पुलिस हाउसिंग निगम लिमिटेड, झारखण्ड चलचित्र विकास निगम लिमिटेड, झारखण्ड सिल्क वस्त्र एवं हस्तकला विकास निगम लिमिटेड (झारक्राफ्ट), झारखण्ड प्लास्टिक पार्क लिमिटेड और झारखण्ड शहरी यातायात निगम लिमिटेड।

तालिका 1.20: गैर-ऊर्जा क्षेत्र के 13 एसपीएसई का नियोजित पूँजी पर क्षेत्रवार प्रतिफल

(₹ करोड़ में)

क्षेत्र वार विच्छेद	ईबीआईटी	नियोजित पूँजी	आरओसीई(प्रतिशत में)
(1)	(2)	(3)	(4)={(2)/(3)}*100
2015-16			
सामाजिक क्षेत्र	55.58	361.95	15.36
प्रतिस्पर्धी क्षेत्र	0.96	261.67	0.37
अन्य	6.86	35.41	19.37
कुल	**63.4**	**659.03**	**9.62**
2016-17			
सामाजिक क्षेत्र	14.99	158.21	9.47
प्रतिस्पर्धी क्षेत्र	17.43	1181.35	1.48
अन्य	8.72	41.43	21.05
कुल	**41.14**	**1380.99**	**2.98**
2017-18			
सामाजिक क्षेत्र	40.09	212.56	18.86
प्रतिस्पर्धी क्षेत्र	7.2	1883.55	0.38
अन्य	5.98	45.76	13.07
कुल	**53.27**	**2141.87**	**2.49**
2018-19			
सामाजिक क्षेत्र	-0.28	13.62	-2.06
प्रतिस्पर्धी क्षेत्र	36.98	2250.89	1.64
अन्य	4.81	49.14	9.79
कुल	**41.51**	**2313.65**	**1.79**
2019-20			
सामाजिक क्षेत्र	0.74	25.42	2.91
प्रतिस्पर्धी क्षेत्र	35.99	2274.29	1.58
अन्य	-0.19	438.41	-0.04
कुल	**36.54**	**2,738.12**	**1.33**

(स्रोत: एसपीएसई से प्राप्त नवीनतम अन्तिमीकृत लेखाओं के आधार पर संकलित)

वर्ष 2015-16 से 2019-20 के दौरान नियोजित पूँजी पर कुल प्रतिफल 1.33 प्रतिशत (2019-20) और 9.62 प्रतिशत (2015-16) के बीच था।

2015-16 से 2019-20 की अवधि के दौरान कार्यशील एसपीएसई(गैर-ऊर्जा) का अर्जित लाभ और हानि पर कुल आरओसीई का विवरण **तालिका 2.21** में दिया गया है:

तालिका 1.21: गैर- ऊर्जा क्षेत्र के कार्यशील एसपीएसई के लाभ/हानि का आरओसीई

(₹ करोड़ में)

	वर्ष	एसपीएसई की संख्या	ईबीआईटी	नियोजित पूँजी	आरओसीई(प्रतिशत में)
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)={(3)/(4)}*100
लाभ कमाने वाली	2015-16	10	71	639.9	11.10
	2016-17	9	41.86	1362	3.07
	2017-18	7	70.26	1952.35	3.60
	2018-19	7	58.89	2238.16	2.63
	2019-20	6	53.09	2,231.20	2.38

	वर्ष	एसपीएसई की संख्या	ईबीआईटी	नियोजित पूँजी	आरओसीई(प्रतिशत में)
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)={(3)/(4)}*100
हानि उठाने वाली	2015-16	2	-7.6	19.13	-39.73
	2016-17	3	-0.72	18.99	-3.79
	2017-18	6	-16.99	189.52	-8.96
	2018-19	5	-17.38	75.49	-23.02
	2019-20	5	-16.55	506.92	-3.26
कुल*	2015-16	12	63.4	659.03	9.62
	2016-17	12	41.14	1381	2.98
	2017-18	13	53.27	2141.87	2.49
	2018-19	12	41.51	2313.65	1.79
	2019-20	11	36.54	2738.12	1.33

(स्रोत: एसपीएसई से प्राप्त नवीनतम अन्तिमीकृत लेखाओं के आधार पर संकलित)

* *एसपीएसई जिन्होंने स्थापना के बाद से अपना पहला खाता जमा नहीं किया था, को बाहर रखा गया है।*

वर्ष 2015-16 से 2019-20 तक, गैर-ऊर्जा क्षेत्र के कार्यशील एसपीएसई की नियोजित पूँजी (आरओसीई) पर प्रतिफल समग्र रूप से धनात्मक और 1.33 प्रतिशत (2019-20) से 9.62 प्रतिशत (2015-16) के बीच था।

1.1.5 सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों की लेखापरीक्षा

सरकारी कंपनियों की लेखापरीक्षा की प्रक्रिया कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) की धारा 139 और 143 के प्रासंगिक प्रावधानों द्वारा नियंत्रित होती है। इसके अलावा, अधिनियम की धारा 143 की उप-धारा 7 के अनुसार, धारा 139 की उप-धारा 5 या उप-धारा 7 के अंतर्गत आने वाली किसी भी कंपनी के मामले में, सीएजी एक आदेश द्वारा ऐसी कंपनी की लेखाओं पर नमूना लेखापरीक्षा आयोजित कर सकता है, यदि ऐसा आवश्यक समझता है। ऐसी लेखापरीक्षा पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (कर्तव्य, शक्तियां और सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 19ए के प्रावधान लागू होंगे। 31 मार्च 2014 तक के वित्तीय वर्षों से संबंधित किसी कंपनी के वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा कंपनी अधिनियम, 1956 के प्रावधानों द्वारा शासित होती रहेगी।

1.1.6 सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के सांविधिक लेखा परीक्षकों की नियुक्ति

अधिनियम की धारा 139 (5) या 139 (7) के प्रावधानों के अनुसार, सरकारी कंपनियों के वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा सीएजी द्वारा नियुक्त सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा की जाती है जो सीएजी के अधिनियम की धारा 143(5) के तहत वित्तीय स्थिति सहित अपनी लेखापरीक्षा प्रतिवेदन की एक प्रति सीएजी को प्रस्तुत करेंगे। अधिनियम की धारा 143 (6) के प्रावधानों के तहत लेखापरीक्षा प्रतिवेदन प्राप्त होने की तिथि से 60 दिनों के अन्दर ये वित्तीय विवरण सीएजी द्वारा की जाने वाली पूरक लेखापरीक्षा के अधीन होते हैं।

1.1.7 झारखण्ड सरकार के वित्त लेखे के साथ मिलान

ऊर्जा क्षेत्र के एसपीएसई के अभिलेखों के अनुसार अंश-पूँजी, ऋण और बकाया गारंटी से संबंधित आँकड़े झारखण्ड सरकार के वित्त लेखाओं में प्रदर्शित आँकड़ों से मेल खाने चाहिए। यदि आँकड़े मेल नहीं खाते हैं तो संबंधित एसपीएसई और वित्त विभाग को अंतरों का समाधान करना चाहिए।

ऊर्जा क्षेत्र के एसपीएसई

इस संबंध में 31 मार्च 2020 तक ऊर्जा क्षेत्र के एसपीएसई की स्थिति **तालिका 1.22** में वर्णित है:

तालिका 1.22 : वर्ष 2019-20 का झारखण्ड सरकार के वित्त लेखाओं के विरुद्ध एसपीएसई के अभिलेखों के अनुसार अंश-पूँजी, ऋण और बकाया गारंटी

(₹ करोड़ में)

बकाया	वित्त लेखाओं के अनुसार राशि	एसपीएसई के अभिलेखों के अनुसार राशि	वर्ष 2019-20 में कुल अंतर
(1)	(2)	(3)	(4) = (2)-(3)
पूँजी	5.00	4242.92	-4237.92
ऋण	12736.63	13806.38	-1069.75

(स्रोत: एसपीएसई द्वारा प्रस्तुत सूचना और समाप्त वर्ष के लिए राज्य वित्त लेखा परीक्षा रिपोर्ट मार्च 2020)

गैर–ऊर्जा क्षेत्र के एसपीएसई

इस संबंध में 31 मार्च 2020 तक गैर-ऊर्जा क्षेत्र के एसपीएसई की स्थिति **तालिका 1.23** में वर्णित है:

तालिका 1.23 : वर्ष 2019-20 का झारखण्ड सरकार के वित्त लेखाओं के विरुद्ध एसपीएसई के अभिलेखों के अनुसार अंश-पूँजी, ऋण और बकाया गारंटी

(₹ करोड़ में)

बकाया	वित्त लेखाओं के अनुसार राशि	एसपीएसई के अभिलेखों के अनुसार राशि	वर्ष 2019-20 में कुल अंतर
(1)	(2)	(3)	(4) = (2) – (3)
पूँजी	225.80	333.20	-107.40
ऋण	0	49.21	-49.21

(स्रोत: एसपीएसई द्वारा प्रस्तुत सूचना और समाप्त वर्ष के लिए राज्य वित्त लेखा परीक्षा रिपोर्ट मार्च 2020)

आँकड़ों में यह अंतर पिछले कई वर्षों से बना हुआ है। अंतरों के समाधान का मामला समय-समय पर एसपीएसई/विभाग के साथ भी उठाया गया था।

1.1.8 एसपीएसई द्वारा लेखाओं को जमा करना

31 मार्च 2020 तक सीएजी के दायरे में आठ ऊर्जा क्षेत्र के एसपीएसई थे। एसपीएसई द्वारा लेखा तैयार करने में अपनाई गई समय-सीमा की स्थिति नीचे दी गई है:

लेखा प्रस्तुतीकरण के बकाया का वर्षवार विश्लेषण

सभी ऊर्जा क्षेत्र के एसपीएसई द्वारा वर्ष 2019-20 की लेखाओं को 30 सितंबर 2020 तक प्रस्तुत करना था। हालांकि, कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय, भारत सरकार ने प्रचलित महामारी संबंधी प्रतिबंधों को देखते हुए सभी कंपनी के निबंधकों को वार्षिक आम बैठक आयोजित करने हेतु, जिसमें लेखापरीक्षित लेखाओं को स्वीकार किया जाता है, कंपनियों द्वारा प्रस्तुत आवेदनों के विरुद्ध 31 दिसंबर 2020 तक विस्तार अनुमोदन करने के लिए उदार रहने का निर्देश दिया था। किसी भी सरकारी कंपनी ने 30 सितंबर 2020 या उससे पहले वर्ष 2019-20 की अपनी लेखाओं को सीएजी द्वारा लेखापरीक्षा के लिए

प्रस्तुत नहीं किया। हालांकि, पाँच[19] एसपीएसई ने वर्ष 2019-20 के लिए अपने वित्तीय विवरण 31 अगस्त 2021 तक जमा कर दिए थे।

ऊर्जा क्षेत्र के एसपीएसई द्वारा लेखा तैयार करने में समयबद्धता

31 मार्च 2020 को समाप्त पिछले पाँच वित्तीय वर्षों में से प्रत्येक के 30 सितंबर तक ऊर्जा क्षेत्र के एसपीएसई के लेखाओं को प्रस्तुतीकरण में बकाया का विवरण **तालिका 1.24** में दिया गया है:

तालिका 1.24: ऊर्जा क्षेत्र के कार्यशील एसपीएसई द्वारा लेखाओं को जमा करने की स्थिति

क्र.सं	विवरण	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20[20]
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	एसपीएसई की संख्या	8	8	8	8	8
2.	चालू वर्ष के दौरान प्रस्तुत लेखाओं के संख्या	5	19	17	7	5
3.	चालू वर्ष के दौरान लेखाओं को अंतिम रूप देने वाले एसपीएसई की संख्या	0	1	3	0	0
4.	चालू वर्ष में अंतिम रूप दिये गए पिछले वर्ष के लेखाओं की संख्या	5	18	14	7	5
5.	बकाया लेखे वाले एसपीएसई की	8	7	5	8	8
6.	बकाया लेखाओं की संख्या	33	23	14	15	18
7.	बकाया होने की समय-सीमा	1 से 8 वर्ष	1 से 8 वर्ष	1 से 5 वर्ष	1 से 4 वर्ष	1 से 5 वर्ष

(स्रोत: अक्टूबर 2019 से सितंबर 2020 की अवधि के दौरान प्राप्त एसपीएसई के लेखाओं के आधार पर)

01 जनवरी 2020 से 31 दिसंबर 2020 की अवधि के दौरान, ऊर्जा क्षेत्र के एसपीएसई ने पाँच वार्षिक लेखाओं को अंतिम रूप दिया, जिसमें 2019-20 के लिए शून्य तथा पिछले वर्षों के पाँच लेखाएँ शामिल थीं। बकाया लेखाओं के संबंध में झारखण्ड सरकार के मुख्य सचिव को त्रैमासिक रूप से सूचित किया जाता है।

गैर–ऊर्जा क्षेत्र के एसपीएसई द्वारा लेखा तैयार करने में समयबद्धता

23 सरकारी कंपनियों में से एक कंपनी ने वर्ष 2019-20 की लेखाओं को 31 दिसंबर 2020 को या उससे पहले सीएजी द्वारा लेखापरीक्षा के लिए प्रस्तुत किया। इसके अलावा, 31 मार्च 2020 को समाप्त पिछले पाँच वित्तीय वर्षों में से प्रत्येक के 31 दिसंबर तक गैर-ऊर्जा क्षेत्र के एसपीएसई के लेखाओं को प्रस्तुतीकरण में बकाया का विवरण **तालिका 1.25** में दिए गए हैं:

---

19 झारखण्ड बिजली वितरण निगम लिमिटेड, झारखण्ड ऊर्जा उत्पादन निगम लिमिटेड, पतरातू एनर्जी लिमिटेड, कर्णपुरा एनर्जी लिमिटेड और झारबिहार कोलियरी लिमिटेड

20 सामान्य परिपत्र संख्या 28/2020 (एफ नंबर 2/4/2020-सीएल-वी) दिनांक 17 अगस्त 2020 ।

तालिका 1.25 : गैर-ऊर्जा क्षेत्र में कार्यशील एसपीएसई द्वारा लेखाओं को प्रस्तुत करने की स्थिति

क्र.सं	विवरण	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	एसपीएसई की संख्या	14	19	21	22	23
2.	चालू वर्ष के दौरान प्रस्तुत लेखाओं के संख्या	6	13	11	14	18
3.	चालू वर्ष के दौरान लेखाओं को अंतिम रूप देने वाले एसपीएसई की संख्या	1	3	1	3	1
4.	चालू वर्ष में अंतिम रूप दिये गए पिछले वर्ष के लेखाओं की संख्या	5	10	10	11	17
5.	बकाया लेखे वाले एसपीएसई की संख्या	13	16	20	19	22
6.	बकाया लेखाओं की संख्या	40	46	54	62	66
7.	बकाया होने की समय-सीमा	1 से 10 वर्ष	1 से 08 वर्ष	1 से 09 वर्ष	1 से 09 वर्ष	1 से 10 वर्ष

(1 जनवरी 2020 से 31 दिसंबर 2020 की अवधि के दौरान प्राप्त एसपीएसई के लेखाओं के आधार पर)

01 जनवरी 2020 से 31 दिसंबर 2020 की अवधि के दौरान, 23 एसपीएसई में से 11 ने 18 वार्षिक लेखाओं को अंतिम रूप दिया, जिसमें वर्ष 2019-20 के लिए एक लेखे और पिछले वर्षों के 17 लेखाएँ शामिल थी। इस प्रकार, 21 एसपीएसई के 66 लेखे बकाया थे। प्रशासनिक विभागों की यह जिम्मेदारी है कि वे इन संस्थाओं की गतिविधियों की निगरानी करें और यह सुनिश्चित करें कि इन एसपीएसई द्वारा निर्धारित अवधि के भीतर लेखाओं को अंतिम रूप दिया और स्वीकार किया जाए। बकाया लेखाओं के संबंध में झारखण्ड सरकार के मुख्य सचिव को सूचित किया जाता है।

21 एसपीएसई में से वर्ष 2019-20 के साथ-साथ पूर्व के वर्षों के 66 लेखाओं को अंतिम रूप देने एवं उनकी पूरक लेखापरीक्षा के अभाव में, इस बात का कोई आश्वासन नहीं दिया जा सका कि निवेश एवं व्यय का समुचित लेखाकरण किया गया था और राशि का निवेश जिस उद्देश्य के लिए किया गया, उसे प्राप्त कर लिया गया। इसलिए, इन एसपीएसई में झारखण्ड सरकार के निवेश उस सीमा तक राज्य विधानमंडल की निगरानी से बाहर रहा।

1.1.9 लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर अनुवर्ती कार्रवाई

ऊर्जा क्षेत्र के एसपीएसई

सार्वजनिक उपक्रम समिति द्वारा लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर चर्चा

अगस्त 2018 को हुई बैठक में सार्वजनिक उपक्रमों की समिति (कोपू) को लेखापरीक्षा प्रतिवेदन अनुच्छेदों के लंबित रहने से अवगत कराया गया। इसके अलावा, 2018-19 के दौरान, कोपू ने अपनी तीन बैठकों में वर्ष 2012-13 और वर्ष 2015-16 के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों से संबंधित दो कंडिकाओं पर चर्चा की। वर्ष 2019-20 के दौरान, कोपू ने

अपनी दो बैठकों में लेखापरीक्षा प्रतिवेदन 2012-13 से 2015-16 से संबंधित 5 लेखापरीक्षा कंडिकाओं पर चर्चा की और वर्ष 2020-21 के दौरान 2008-09 की लेखापरीक्षा प्रतिवेदन से संबंधित एक कंडिका पर चर्चा की गई थी।

गैर-ऊर्जा क्षेत्र के एसपीएसई

कोपू द्वारा लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर चर्चा

सार्वजनिक उपक्रमों की समिति को लेखापरीक्षा प्रतिवेदन के लंबित होने से अवगत कराया गया। 2018-19 के दौरान, सार्वजनिक उपक्रम समिति ने अपनी तीन बैठकों में वर्ष 2008-09 से 2015-16 के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों से संबंधित तीन कंडिकाओं पर चर्चा की। 2019-20 के दौरान, सार्वजनिक उपक्रम समिति ने अपनी दो बैठकों में 2005-06 से 2013-14 के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन से संबंधित तीन लेखापरीक्षा कंडिकाओं पर चर्चा की और 2020-21 के दौरान, 2007-08 और 2011-12 के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन से संबंधित दो कंडिकाओं पर चर्चा की गई थी।

कोपू के प्रतिवेदन का अनुपालन

वर्ष 2013-21 के दौरान राज्य विधानमंडल में प्रस्तुत, वर्ष 2006-07, 2007-08, 2009-10, 2010-11 और 2012-13 के लिए विभागों (वन, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन, खान और भूविज्ञान, गृह, जेल और आपदा प्रबंधन और उद्योग) से संबंधित कंडिकाओं पर पाँच कोपू प्रतिवेदनों की नौ अनुशंसाओं में से गैर-ऊर्जा क्षेत्र के एसपीएसई से कोई एटीएन प्राप्त नहीं हुआ था।

अध्याय II: अनुपालन लेखापरीक्षा

वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग

2.1 "झारखण्ड राज्य वन विकास निगम लिमिटेड द्वारा विपणन, बिक्री और माल प्रबंधन" पर लेखापरीक्षा

2.1.1 प्रस्तावना

झारखण्ड राज्य वन विकास निगम लिमिटेड (कंपनी) को वन, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन विभाग (विभाग) के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन झारखण्ड सरकार के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम के रूप में निगमित (मार्च 2002) किया गया था। कंपनी की स्थापना वन उत्पादन और उत्पादकता को बढ़ाने तथा वन-उत्पाद आधारित उद्योगों के विकास के उद्देश्य से की गई थी। इसके अलावा, अधिकतम वित्तीय लाभ हेतु इसे वन उत्पादन को बढ़ावा देना और लघु वन-उत्पाद (एमएफपी) के संग्रहण, प्रसंस्करण एवं विपणन का व्यावसायिक प्रबंधन करना तथा वन उत्पादों का वैज्ञानिक दोहन करना था।

कंपनी का प्रबंधन निदेशक मंडल (बोर्ड) में निहित है। अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (अप्रमुवसं)-सह-प्रबंध निदेशक (एमडी) कंपनी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी होते हैं और निदेशक (विपणन), उप निदेशक (मुख्यालय), उप निदेशक (विपणन) और तीन लघु वन-उत्पाद परियोजना (एमएफपीपी) अंचलों[21] के महाप्रबंधक द्वारा सहायतित होते हैं। कंपनी में प्रमंडलीय प्रबन्धक (डीएम) के नेतृत्व वाले छः एमएफपीपी प्रमंडल[22] हैं जिनमें 44 प्रक्षेत्र कार्यालय[23] हैं।

कंपनी मुख्य रूप से केंदु-पत्ता[24] (केएल) के विपणन का कार्य करती है जिसे एक विनिर्दिष्ट वन क्षेत्र (लॉट[25]) से एकत्र किया जाता है, इसके अलावा, कंपनी विभिन्न स्रोतों यथा- वन प्रमंडलों, व्यक्तियों एवं निर्माण परियोजनाओं से प्राप्त टिम्बर की विक्रय भी करती है।

वर्ष 2015-16 से 2019-20 की अवधि को आच्छादित करते हुए विभाग तथा तीन में से दो[26] अंचल कार्यालयों, छः में से चार[27] एमएफपीपी प्रमंडलों और नौ[28] एमएफपीपी

---

21 राँची अंचल (राँची एवं धालभूम प्रमंडल), हजारीबाग अंचल (हजारीबाग, डाल्टेनगंज एवं गढ़वा प्रमंडल) तथा देवघर अंचल (गिरिडीह प्रमंडल)

22 डाल्टेनगंज, धालभूम, गढ़वा, गिरिडीह, हजारीबाग एवं राँची

23 राँची: 07 प्रक्षेत्र कार्यालय , हजारीबाग:10 प्रक्षेत्र कार्यालय, गढ़वा: 07 प्रक्षेत्र कार्यालय, गिरिडीह: 09 प्रक्षेत्र कार्यालय, डाल्टेनगंज: 05 प्रक्षेत्र कार्यालय एवं धालभूम: 06 प्रक्षेत्र कार्यालय

24 बीड़ी, एक पतली सिगरेट है, जिसे बनाने के लिए सूखे केंदू पत्ते का उपयोग तम्बाकू के लच्छे को लपेटने के लिए किया जाता है।

25 राज्य के कुल वन क्षेत्र को 300 इकाइयों (2019 ऋतु से 299) में विभाजित किया गया है, जिन्हें लॉट कहा जाता है।

26 हजारीबाग एवं राँची

27 डाल्टेनगंज, धालभूम, हजारीबाग एवं राँची

28 डाल्टेनगंज प्रमंडल: डाल्टेनगंज एवं मनिका; धालभूम प्रमंडल: चाईबासा एवं मानगो; हजारीबाग प्रमंडल: हजारीबाग-I, प्रतापपुर एवं सिमरिया; राँची प्रमंडल: लोहरदगा एवं राँची।

प्रक्षेत्रों सहित कंपनी की लेखापरीक्षा यह आकलन करने के लिए की गई कि कंपनी में विपणन, विक्रय और माल प्रबंधन के लिए एक प्रभावी और कुशल प्रणाली मौजूद थी। प्रमंडलों एवं प्रक्षेत्रों का चयन प्रतिस्थापन रहित सरल यादृच्छिक प्रतिचयन (एसआरएसडब्लूओआर) विधि से किया गया। प्रतिचयनित प्रक्षेत्रों के सभी 59 लॉटों[29] की नमूना जांच लेखापरीक्षा में की गई।

दिनांक 27 नवंबर 2020 को विभाग के प्रधान सचिव के साथ एक प्रवेश सम्मेलन आयोजित की गई जिसमें लेखापरीक्षा के उद्देश्य, क्षेत्र एवं कार्यप्रणाली पर चर्चा हुई। 26 अक्टूबर 2021 को अप्रमुवसं-सह-एमडी के साथ एक निकास सम्मेलन आयोजित की गई जिसमें लेखापरीक्षा निष्कर्षों पर चर्चा की गई। विभाग के जवाब को प्रतिवेदन में उपयुक्त ढंग से सम्मिलित कर लिया गया है।

लेखापरीक्षा निष्कर्ष

2.1.2 विपणन एवं विक्रय प्रबंधन

कंपनी का मुख्य व्यवसाय केंदु-पत्तियों (केएल) का व्यापार है और केएल व्यापार का प्रमुख उद्देश्य प्राथमिक संग्रहकों[30] (पीसी) की आय में वृद्धि करके तथा व्यापार को बिचौलिया मुक्त बनाने के माध्यम से उनका कल्याण करना है। केएल व्यापार, झारखण्ड सरकार द्वारा अंगीकृत बिहार केंदु-पत्ता (व्यापार नियंत्रण) अधिनियम, 1973 तथा झारखण्ड सरकार द्वारा अधिसूचित (जनवरी 2016) झारखण्ड राज्य केंदु-पत्ता नीति, 2015 (जेएसकेएलपी) के अधीन किया जाता है। ग्रामीण स्तर पर संग्राहक समितियां (सीसी)[31] होती हैं जो बैंक खाताएं रखती हैं एवं पीसी को संग्रहण मूल्य[32] तथा प्रोत्साहन राशि का भुगतान करती हैं। सीसी कंपनी द्वारा वन-उत्पाद पर्यवेक्षक (एफपीओ) के माध्यम से, जो सीसी के सदस्य सचिव होते हैं, सहायतित होती हैं।

तत्कालीन बिहार में, केएल व्यापार के प्रबंधन के लिए बिहार राज्य वन विकास निगम (बिराववि‌नि) जिम्मेदार था। वर्ष 1995 तक, बिराववि‌नि वास्तविक संग्रहित मात्रा के आधार पर केएल का विक्रय करता था जो वित्तीय कुप्रबंधन के कारण लाभदायक साबित नहीं हुआ। बाद में, बिराववि‌नि ने एकमुश्त आधार पर केएल लॉट के विक्रय को अपनाया जो अभी भी लागू है। एकमुश्त विक्रय के लिए, कंपनी प्रतिवर्ष नवंबर-दिसंबर

---

29 डाल्टेनगंज: 6 लॉट, मनिका:7 लॉट, चाईबासा:7 लॉट, मानगो:12 लॉट, हजारीबाग-I:7 लॉट,प्रतापपुर:6 लॉट, सिमरिया:5 लॉट, लोहरदगा:4 लॉट एवं राँची:5 लॉट।

30 स्थानीय लोग जो कें.प. संग्रह करते हैं और संग्रहण केंद्रों पर पहुँचातें हैं, उन्हें एमएफपीपी प्रमंडल के माध्यम से संग्रहण मूल्य तथा अन्य प्रोत्साहनों का भुगतान किया जाता है।

31 कें.प. संग्रह करने के लिए झारावविनि द्वारा अधिकृत "सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम, 1860" या "स्व-सहायक सहकारी समिति अधिनियम, 1996" के तहत पंजीकृत प्रा.सं. की समिति।

32 विभाग प्रत्येक वर्ष प्रा.सं. को भुगतान किए जाने के लिए बिहार केंदु पत्ती अधिनियम 1973 की धारा 7 के तहत प्रति मानक बोरा (1,000 बंडल जिसके प्रत्येक बंडल में 50 कें.प. रहता है) न्यूनतम समर्थन दर अधिसूचित करता है।

के महीने में ई-निविदा[33] आमंत्रित करती है। सफल बोलीदाता विक्रय समिति[34] द्वारा बोलियों के अंतिमीकरण के बाद संबंधित डीएम के साथ इकरारनामा निष्पादित करते हैं। केएल आगामी वर्ष के माह अप्रैल से जुलाई के दौरान संग्रहित किए जाते हैं। संग्रहण के बाद, केएल को सुखाकर गोदामों में रखा जाता है तथा विक्रय मूल्य एवं संग्रहण लागत के भुगतान के उपरांत क्रेताओं को आपूर्ति की जाती है। केएल उठाव से पूर्व क्रेता निर्दिष्ट दर पर गोदामों का किराया एवं पर्यवेक्षण शुल्क का भुगतान भी करते हैं।

इसके अलावा, टिम्बर व्यापार के लिए विभाग झारखण्ड सरकार द्वारा अंगीकृत बिहार वन-उत्पाद (व्यापार विनियमन) अधिनियम 1984 के तहत विनिर्दिष्ट टिम्बर[35] के दर को प्रतिवर्ष अधिसूचित करती है। गैर-विनिर्दिष्ट[36] टिम्बर के लिए दरें तय करने हेतु निदेशक मंडल (बोर्ड) सक्षम है। कंपनी प्रमंडलीय डिपो में प्राप्त टिम्बरों की नीलामी करती है।

लेखापरीक्षा ने पाया कि:

2.1.2.1 केंदू-पत्तों की उपज एवं गुणवत्ता कायम नहीं रखा गया

- परिपक्व पत्तियों के निरंतर प्रवाह को सुनिश्चित करने हेतु ओडिशा केंदु-पत्ता नियमावली, 1973 में चरणबद्ध तरीके से केंदू झाड़ियों के कोपिसिंग[37] (ठूंठ काटने) का प्रावधान है।

लेखापरीक्षा ने पाया कि जेएसकेएलपी अथवा अन्य विधानों में केएल की मात्रा एवं गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए ठूंठ काटने या अन्य उपयुक्त व्यवस्था का कोई प्रावधान नहीं था। हालांकि कंपनी ने केंदु-पत्ता ऋतु 2008 के लिए केंदू झाड़ियों की ठूंठ काटने हेतु निर्देश (फरवरी 2008) जारी किया था परंतु बाद में इसे जारी नहीं रखा जा सका। लेखापरीक्षा की अवधि के दौरान भी, जो 2015 से 2019 तक के पाँच केएल ऋतु से आच्छादित थी, ठूंठ कटनी नहीं हुई। परिणामस्वरूप, 300 में से 232 (77 प्रतिशत) केएल लॉट की औसत उपज[38] अधिसूचित उपज[39] से कम थी जिसमें 123 ऐसे लॉट शामिल थे जहां वास्तविक उपज 30 से 89 प्रतिशत कम थी।

विभाग ने तथ्य को स्वीकार करते हुए कहा (अक्टूबर 2021) कि केएल की मात्रा एवं गुणवत्ता में सुधार के लिए ऋतु 2021 से ठूंठ काटना शुरू किया गया है। आगे कहा

---

33 जेएसकेएलपी के लागू होने के बाद ऋतु 2016 से शुरू हुआ।

34 विभाग द्वारा गठित छह सदस्यीय समिति जिसमें वित्त विभाग, सतर्कता विभाग, वन विभाग और निगम के प्रतिनिधि शामिल रहते हैं।

35 साल, सागवान, बीजा, गम्हार, आसन, करम, सलाई और खैर के टिम्बर।

36 सीसम (डलबेगियासिसो) जामुन (सिजीजियम), यूकेलिप्टस (यूकेलिप्टस एसपीपी) आदि।

37 केएल की मात्रा और गुणवत्ता बनाए रखने के लिए केंदू झाड़ियों की छंटाई जिससे कि नई पत्तियां प्राप्त हों।

38 विक्रयित केएल लॉट की वास्तविक संग्रहित मात्रा को पांच केएल ऋतु अर्थात 2015 से 2019 में विक्रयित लॉट की संख्या से विभाजित करके औसत उपज की गणना की गई है।

39 बिहार सरकार ने केएल क्षेत्रों (लॉटों) के लिए अलग इकाइयों और प्रत्येक इकाई के अनुमानित उत्पादन को अधिसूचित (नवंबर 1984) किया।

गया कि इससे क्रेता आकर्षित हुए हैं और पूर्व के वर्षों की तुलना में 2021 के राजस्व में उल्लेखनीय उछाल आया है।

• केएल लॉट की अधिसूचित उपज की मात्रा, जिसके लिए ई-निविदा के माध्यम से एकमुश्त विक्रय मूल्य के निर्णय हेतु उस लॉट का आरक्षित मूल्य प्रतिवर्ष निर्धारित किया जाता है, को बिहार सरकार द्वारा 28 नवंबर 1984 को अधिसूचित करने के पश्चात 36 वर्षों के उपरांत भी जुलाई 2021 तक पुन: अधिसूचित नहीं किया गया। लेखापरीक्षा ने आगे पाया कि केएल ऋतु 2015 से 2019 के 1499 में से 495 केएल लॉट (33 प्रतिशत), जिसकी अधिसूचित उपज की मात्रा 12.63 लाख मानक बोरियाँ (बोरी) थीं, बोली प्राप्त नहीं होने (304[40] लॉट) अथवा उद्धृत मूल्य आरक्षित मूल्य से कम होने (29 लॉट) के कारण बिना बिके रह गए। बिना बिके लॉटों का आरक्षित मूल्य ₹ 74.38 करोड़ था।

विभाग ने कहा (अक्टूबर 2021) कि ज्यादातर केएल लॉट बाजार में खराब माँग के कारण बिना बिके रह गए और इसका अधिसूचित उपज के गैर-पुनरीक्षण से कोई सीधा संबंध नहीं था। जवाब पूरी तरह से स्वीकार्य नहीं है क्योंकि कुछ लॉट इस कारण नहीं बेचे जा सके कि प्राप्त बोलियों के उद्धृत मूल्य आरक्षित मूल्य से कम थे।

• प्रति बोरी पिछले तीन वर्षों का औसत विक्रय मूल्य लेते हुए विभिन्न केएल लॉटों की अधिसूचित मात्रा हेतु निर्धारित आरक्षित मूल्यों में भारी भिन्नता थी। प्रत्येक विशेष केएल लॉट का एकमुश्त मूल्य आरक्षित मूल्य के आधार पर तय किया गया था। झारखण्ड में, 2015 से 2019 के दौरान लॉटों की विक्रय मूल्य, जिसके एकमुश्त मूल्य की गणना अधिसूचित उपज के सन्दर्भ में की गई थी, प्रति बोरी ₹ 497 और ₹ 1,512 के बीच थी। हालांकि, यह देखा गया कि पड़ोसी राज्य छत्तीसगढ़ में 2015 से 2019 के दौरान यह प्रति बोरी ₹ 2,656 और ₹ 7,945 के बीच था जो झारखण्ड की तुलना में काफी अधिक था। इसके अलावा, लेखापरीक्षा ने पाया कि ऋतु 2017 के दौरान धालभूम एमएफपीपी प्रमंडल के 46 लॉट का विक्रय मूल्य प्रति बोरी ₹ 166 और ₹ 8,885 के बीच था। कंपनी ने एक ही प्रमंडल के भीतर लॉटों के विक्रय मूल्य में इतने अधिक अंतर के कारणों का विश्लेषण नहीं किया।

विभाग ने कहा (अक्टूबर 2021) कि औसत विक्रय मूल्य स्थिर लक्षण के नहीं होते हैं और यह ज्यादातर मौजूदा माँग पर निर्भर करते हैं तथा यह आश्वस्त किया कि कंपनी भविष्य में कीमतों में उतार-चढ़ाव को समाप्त करने के तरीके तलाशने की कोशिश करेगी।

2.1.2.2 निविदा प्रक्रिया में अनियमिततायें

केएल लॉट के लिए ई-निविदा आमंत्रित एवं अंतिमीकृत कई चक्रों में की गई अर्थात् बिना बिके लॉटों के लिए अगले चक्र में फिर से बोलियाँ आमंत्रित की गईं। केएल ऋतु

---

[40] केवल 2016-2019 ऋतु के 333 अबिक्रीत लॉट से संबंधित हैं, क्योंकि 2015 ऋतु के अभिलेख/ सूचना लेखापरीक्षा को प्रस्तुत नहीं किए गए।

2016 से 2019 के दौरान बेचे गए लॉटों का विवरण नीचे **तालिका 2.1.1** में दर्शाया गया है:

तालिका 2.1.1: 2016 से 2019 के दौरान बेचे गए केएल लॉट का विवरण

ऋतु	लॉट की कुल संख्या	बेचे गए लॉट की कुल संख्या	प्रथम चक्र में बिक्रित लॉट	प्रथम चक्र में एकल बोली पर बिक्रित लॉट
2016	300	282	204	81 (40 %)
2017	300	300	272	29 (11 %)
2018	300	210	140	83 (59 %)
2019	299	74	18	18 (100 %)
कुल	**1199**	**866**	**634**	**211 (33 %)**

(स्रोत: कंपनी की निविदा संचिकाओं से संकलित आँकड़े)

लेखापरीक्षा ने पाया कि कंपनी द्वारा 211 लॉट (33 प्रतिशत) पहले दौर में ही विक्रय समिति की अनुशंसा पर एकल बोलीदाताओं को बेचे गये। हालांकि, विक्रय समिति द्वारा एकल बोलीदाताओं को लॉट दिए जाने का कोई कारण दर्ज नहीं किया गया था।

विभाग ने कहा (अक्टूबर 2021) कि सीमित क्रेताओं के साथ केएल का क्रय-विक्रय एक विशेष गतिविधि है तथा लॉटों का बिक्री विक्रय समिति द्वारा तय की जाती है। आगे यह कहा गया कि एकल बोलियाँ अधिक राजस्व प्राप्त करने और पीसी को संग्रहण लागत का भुगतान करने के लिए स्वीकार की गई थी। जवाब स्वीकार्य नहीं है क्योंकि वित्त विभाग के निर्देशानुसार (मार्च 2007) एकल बोली के मामले में पुनर्निविदा करनी चाहिए थी।

2.1.2.3 क्रेता को अनुचित लाभ

इकरारनामा के अनुसार लॉट के लिए स्वीकृत एकमुश्त विक्रय मूल्य को ध्यान में रखते हुए प्रति मानक बोरी (बोरी) औसत विक्रय मूल्य पर क्रेता को अधिसूचित उपज की तुलना में संग्रहित अतिरिक्त केएल के 50 प्रतिशत के लिए भुगतान करना था।

लेखापरीक्षा ने पाया कि चार[41] नमूना-जाँचित एमएफपीपी प्रमंडलों में केएल ऋतु 2015 से 2019 के दौरान 1.17 लाख बोरी केएल अधिसूचित उपज से अधिक संग्रहित किए गए थे जैसा कि नीचे **तालिका 2.1.2** में दिखाया गया है:

[41] डाल्टेनगंज, धालभूम, हजारीबाग एवं राँची

तालिका 2.1.2: अधिसूचित उपज की तुलना में केएल के अतिरिक्त संग्रहण का विवरण

ऋतु वर्ष	अतिरिक्त संग्रहण वाले लॉटों की संख्या	लॉट की अधिसूचित उपज का कुल योग (बोरी में)	लॉट की संग्रहित उपज (बोरी में)	अतिरिक्त संग्रहित केएल (बोरी में)	एकमुश्त राशि	अतिरिक्त संग्रहण के लिए 50 प्रतिशत की दर से वसूलित राशि	शेष 50 प्रतिशत अतिरिक्त संग्रहण के लिए क्रेता को अनुचित लाभ
					(₹ करोड़ में)		
2015	26	59,500	74,941.622	15,441.622	3.55	0.40	0.40
2016	41	89,750	101,569.857	11,819.857	11.42	0.51	0.51
2017	89	2,16,000	278,987.810	62,987.810	51.29	6.27	6.27
2018	40	93,250	111,111.149	17,861.149	15.61	0.97	0.97
2019	18	41,150	49,910.500	8,760.500	5.81	0.42	0.42
कुल	**214**	**4,99,650**	**6,16,520.938**	**1,16,870.938**	**87.68**	**8.57**	**8.57**

कंपनी ने अतिरिक्त संग्रहित मात्रा के 50 प्रतिशत के लिए वसूलनीय ₹ 17.14 करोड़ के विरुद्ध मात्र ₹ 8.57 करोड़ की वसूली की। अतिरिक्त मात्रा के शेष 50 प्रतिशत की लागत की वसूली कंपनी इसलिए नहीं कर सकी क्योंकि इसने 36 वर्षों से अधिक तक के समय में लॉटों के वास्तविक उपज का पुनर्मूल्यांकन कर उपज को पुनराधिसूचित नहीं किया और इस प्रकार क्रेता को अनुचित लाभ प्रदान किया।

विभाग ने कहा (अक्टूबर 2021) कि केएल के अधिकतम संग्रहण के लिए इकरारनामा में अनुच्छेद जोड़ा गया था ताकि पीसी को संग्रहण लागत के रूप में अधिकतम लाभ दिया जा सके तथा यह केएल क्रेताओं को उच्च संग्रह के लक्ष्य के लिए प्रोत्साहित करता है जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को लाभ हो। उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि संग्रहण लागत सीधे केएल के संग्रहण से संबंधित है और पीसी को अधिक संग्रहण हेतु प्रोत्साहित करने से लाभ अंततः क्रेताओं को हुआ। तथापि, पीसी को अधिक संग्रहण के लिए अतिरिक्त लाभ नहीं मिला (**कंडिका 2.1.3.2**)।

2.1.2.4 विक्रय मूल्य की वसूली न होना

इकरारनामा के अनुच्छेद 11 के अनुसार, यदि क्रेता नियत तिथि के भीतर देय राशि जमा करने में विफल होता है या इकरारनामा के किसी भी शर्त का पालन करने में विफल रहता है, तो प्राधिकृत पदाधिकारी नोटिस देने एवं सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् इकरारनामा को समाप्त कर सकता है। इकरारनामा की समाप्ति के बाद, अधिकारी प्रतिभूति राशि (एसडी) को ज़ब्त कर सकता है, केएल बोरियों के स्टॉक, जिनका भुगतान नहीं किया गया हो, को जब्त कर सकता है, नुकसान की भरपाई हेतु जब्त किए गए स्टॉक को बेच सकता है और ऐसे नुकसान की भरपाई में हुए खर्चों की भरपाई के लिए आवश्यक अन्य कार्रवाई की शुरुआत कर सकता है।

नमूना-जाँचित चार[42] एमएफपीपी प्रमण्डलों में ऋतु 2015, 2017 और 2018 से संबंधित 55 लॉटों[43] के इकरारनामा को प्रमण्डलों द्वारा समाप्त कर दिया गया तथा ₹ 5.98 करोड़[44] की प्रतिभूति राशि (एसडी) जब्त कर ली गयी थी। लेखापरीक्षा ने पाया कि निदेशक मंडल (बोर्ड) द्वारा बकाये की वसूली हेतु इकरारनामा अवधि को दो बार क्रमशः जुलाई 2018 और मार्च 2019 तक विस्तार दिए (जुलाई 2018 और अगस्त 2019 के बीच) जाने के बावजूद ऋतु 2017 के 30 लॉटों के क्रेता देय राशि का भुगतान नहीं कर पाए।

लेखापरीक्षा जाँच में आगे पता चला कि वहाँ ₹ 31.36 करोड़ का बकाया था और वन-उत्पाद निरीक्षक (एफपीआई)/ प्रक्षेत्र अधिकारियों ने ₹ 23.46 करोड़[45] की वसूली के लिए इन 55 लॉट के व्यतिक्रमियों के विरुद्ध दायर (अक्टूबर 2015 और सितंबर 2020 के बीच) किया था। हालांकि, 55 लॉटों में से 49 के मामले में नीलामपत्र वाद जब्त स्टॉक के पुनर्विक्रय से पूर्व दायर किए गए थे। यद्यपि, प्रमंडलों ने जब्त स्टॉक के पुनर्विक्रय से ₹ 5.71 करोड़ की वसूली (जून 2019 और अगस्त 2020 के बीच) की परंतु जुलाई 2021 तक संशोधित नीलामपत्र वाद दायर नहीं किए गए थे। यह भी देखा गया कि नीलामपत्र वाद मामलों के जल्द निस्तारण हेतु डीएम को नीलामपत्र अधिकारी की शक्ति प्रत्यायोजित (जुलाई 2017 और सितंबर 2018 के बीच) की गई थी तथा 55 में से 54 मामले संबंधित डीएम के पास थे। हालांकि, लंबित नीलामपत्र वादों के निस्तारण हेतु ससमय कार्रवाई प्रारंभ नहीं की गई। अत: यथोचित नीलामपत्र वाद कार्यवाही शुरू नहीं करने के कारण अक्टूबर 2021 तक ₹ 17.75 करोड़ अवसूलित रह गए।

विभाग ने लेखापरीक्षा टिप्पणी को स्वीकार किया और कहा (अक्टूबर 2021) कि संशोधित नीलामपत्र वाद दायर किए जाएँगे तथा नीलामपत्र वादों के निस्तारण में तेजी लाने का प्रयास किया जाएगा।

2.1.3 आय सृजन

2.1.3.1 प्राथमिक संग्राहक संग्रहण लागत से वंचित रहे

जेएसकेएलपी की कंडिका 13 के अनुसार, बिना बिके लॉटों के मामले में पीसी को संग्रहण एवं अन्य लागतों का भुगतान सुनिश्चित करने हेतु विभाग कंपनी को आवश्यक निधि उपलब्ध कराएगा। उचित गुणवत्ता के केएल के संग्रहण एवं भंडारण की ज़िम्मेदारी संबंधित प्रादेशिक वन प्रमण्डलों के क्षेत्र कर्मचारियों को दी गई थी।

---

42 डाल्टेनगंज, धालभूम, हजारीबाग एवं राँची

43 ऋतु 2015: 1, 2017: 30 तथा 2018: 24

44 2015: ₹ 33,750, 2017: ₹ 2.70 करोड़ तथा 2018: ₹ 3.28 करोड़

45 ₹ 5.98 करोड़ के एसडी एवं ₹ 1.92 करोड़ पुनर्बिक्री मूल्य के समायोजन के बाद (डाल्टेनगंज: ₹ 5.33 करोड़, धालभूम: ₹ 4.17 करोड़, हजारीबाग: ₹4.51 करोड़ और राँची: ₹ 9.45 करोड़)

लेखापरीक्षा ने पाया कि ऋतु[46] 2016 से 2019 के दौरान 1199 में से 333 लॉट बिना बिके रह गए। बिना बिके लॉटों की अधिसूचित उपज 8.52 लाख बोरी थी तथा इन ऋतुओं के दौरान अधिसूचित संग्रहण लागत प्रति बोरी ₹ 1,120 और ₹ 1,195 के बीच थी। यद्यपि विभागीय संग्रहण की सुगमता हेतु कंपनी ने विभाग से संग्रहण एवं अन्य लागतों के रूप में ₹ 61.93 करोड़[47] की माँग (अप्रैल 2016 एवं फरवरी 2019) की, परन्तु विभाग ने निधि जारी नहीं किया जिसका कारण अभिलेखों में उपलब्ध नहीं था। कंपनी ने इन लॉटों के लिए वास्तविक आधार पर निविदा आमंत्रित किए जाने की संभावनाएं भी नहीं तलाश की, जैसा कि 2015 में किया गया था जब नमूना-जाँचित तीन[48] एमएफपीपी प्रमण्डलों के 64 में से 22 लॉट प्रति बोरी की दर पर बिके थे। निविदा के माध्यम से संग्रहण लागत का दायित्व क्रेताओं पर हस्तांतरित किया जा सकता था। अत: कंपनी केएल व्यापार के प्राथमिक उद्देश्य अर्थात् निविदा के माध्यम से वास्तविक आधार पर अथवा केएल के विभागीय कटाई के माध्यम से संग्रहण लागत के भुगतान द्वारा पीसी के लिए आय सृजन, को नहीं प्राप्त कर सका।

विभाग ने कहा (अक्टूबर 2021) कि निधि इसलिए जारी नहीं की गई थी क्योंकि विभागीय संग्रहण केएल के अल्प शेल्फ जीवन तथा बाजार माँग में अनिश्चितता के कारण हानि का जोखिम भी वहन करता था। आगे यह भी कहा गया कि भविष्य में जेएसएफडीसी वास्तविक आधार पर बिना बिके लॉटों के विक्रय की संभावना तलाशेगा। जवाब स्वीकार्य नहीं था क्योंकि केएल व्यापार का मुख्य उद्देश्य यथा पीसी के लिए आय का सृजन, को प्राप्त नहीं किया जा सका।

2.1.3.2 प्राथमिक संग्राहकों को अतिरिक्त संग्रहण लागत का भुगतान नहीं होना

जेएसकेएलपी के कंडिका 11.4 के अनुसार, अधिसूचित उपज से अधिक केएल संग्रहण के मामले में कंपनी अतिरिक्त संग्रहण लागत के रूप में केएल व्यापार से अर्जित शुद्ध लाभ में से पीसी को संग्रहित अधिक केएल के 50 प्रतिशत संग्रहण लागत का भुगतान करेगा।

नमूना-जाँचित चार प्रमंडलों[49] में ऋतु 2016 से 2019 के दौरान 188 केएल लॉटों में पीसी द्वारा अधिसूचित उपज से 1.01 लाख बोरी अधिक केएल का संग्रहण किया गया था जिसके लिए ₹ 5.82 करोड़[50] की अतिरिक्त संग्रहण लागत देय थी जैसा कि नीचे **तालिका 2.1.3** में दिखाया गया है।

---

[46] 2015 ऋतु को सम्मिलित नहीं किया गया है क्योंकि जेएसकेएलपी को जनवरी 2016 में अधिसूचित किया गया था।

[47] ऋतु 2016: ₹ 1.73 करोड़ तथा 2019 के लिए: ₹ 60.20 करोड़

[48] डाल्टेनगंज, हजारीबाग एवं राँची

[49] डाल्टेनगंज, धालभूम, हजारीबाग एवं राँची

[50] डाल्टेनगंज: ₹ 3.26 करोड़, धालभूम: ₹ 23.97 लाख, हजारीबाग: ₹ 1.65 करोड़ और राँची: ₹ 67.44 लाख

तालिका 2.1.3: मजदूरी की अतिरिक्त राशि का विवरण

ऋतु	लॉटों की संख्या	अधिसूचित उपज (बोरी)	वास्तविक उपज (बोरी)	अतिरिक्त (बोरी)	संग्रहण मूल्य (प्रति बोरी) (₹)	अतिरिक्त राशि संग्रहण मुल्य का 50 प्रतिशत (₹)	रकम (₹ करोड़ में)
2016	41	89,750	1,01,569.857	11,819.857	1,120	560.00	0.66
2017	89	2,16,000	2,78,987.810	62,987.810	1,140	570.00	3.59
2018	40	93,250	1,11,111.149	17,861.149	1,175	587.50	1.05
2019	18	41,150	49,910.500	8,760.500	1,195	597.50	0.52
योग	**188**	**4,40,150**	**5,41,579.316**	**1,01,429.316**			**5.82**

लेखापरीक्षा ने पाया कि मार्च 2021 तक पीसी को अतिरिक्त संग्रहण लागत का भुगतान नहीं किया गया जबकि कंपनी इन वर्षों में केएल व्यापार से लाभ अर्जित[51] की थी। पुनः यह देखा गया कि छत्तीसगढ़ में ऋतु 2016-2019 के दौरान संग्रहण लागत प्रति बोरी ₹ 1,500 एवं ₹ 4,000 के बीच था जो झारखण्ड की तुलना में बहुत अधिक था। इस प्रकार, पीसी उच्चतर संग्रहण लागत एवं ₹ 5.82 करोड़ के अतिरिक्त संग्रहण लागत से भी वंचित रहे।

विभाग ने लेखापरीक्षा टिप्पणी को स्वीकार किया और कहा (अक्टूबर 2021) कि वित्तीय वर्ष 2016-2017 के वार्षिक लेखाओं में अतिरिक्त संग्रहण लागत का प्रावधान किया गया है तथा शीघ्र ही इसे पीसी को हस्तांतरित कर दिया जाएगा। संग्रहण लागत में अंतर के संबंध में यह कहा गया कि संग्रहण लागत के दर को अधिसूचित करने हेतु विचारित कारकों की जानकारी उपलब्ध कराने हेतु छत्तीसगढ़ राज्य लघु वन-उत्पाद (व्यापार एवं विकास) सहकारी संघ लिमिटेड से अनुरोध किया जाएगा।

2.1.3.3 विकास निधि का गैर/गलत-उपयोग

जेएसकेएलपी, 2015 की कंडिका 11.2 के अनुसार, कंपनी को केएल व्यापार से प्राप्त शुद्ध लाभ का 20 प्रतिशत सीसी को हस्तांतरित करना होता है जिसका उपयोग उनके द्वारा विकास योजनाओं एवं केंदु-झाड़ियों के संवर्धन में किया जाना है। उस निधि को बचत बैंक खाते में रखना तथा संयुक्त रूप से सदस्य सचिव (एफपीओ) एवं सीसी के अध्यक्ष द्वारा संचालित किया जाना था। प्रमण्डल को बैंक खातों की समीक्षा करनी थी और विकास योजनाओं को ससमय पूरा करने में सीसी को सहयोग करना था। कंपनी ने विकास निधि का उपयोग इस प्रकार करने हेतु एक दिशानिर्देश जारी की (अप्रैल 2018) ताकि वनवासी वन उत्पाद संग्रहण, प्रसंस्करण और विपणन नियमित रूप से कर सकें और अपनी आय समुन्नत करें। इसके लिए लघु वन-उत्पाद आधारित सूक्ष्म उद्यमों की स्थापना हेतु सीसी को आम सभा की बैठकों में मशीनों एवं उपकरणों की पहचान के साथ-साथ लाभार्थियों के समूह का चयन करना था।

लेखापरीक्षा ने पाया कि नमूना-जाँचित चार एमएफपीपी प्रमण्डलों[52] को केएल ऋतु 2016 से 2018 के लिए ₹ 15.58 करोड़ की विकास निधि (मार्च 2017 और जुलाई

---

[51] 2016 में ₹ 44.38 करोड़, 2017 में ₹ 57.59 करोड़, 2018 में ₹ 20.67 करोड़ तथा 2019 में ₹ 8.07 करोड़

[52] डाल्टेनगंज, धालभूम, हजारीबाग एवं राँची

2019 के बीच) विमुक्त की गई थी। ऋतु 2019 के लिए ₹ 75.68 लाख दिसंबर 2020 में विमुक्त किए गए थे। यद्यपि ऋतु 2016 से 2018 तक की निधि 149 सीसी को हस्तांतरित की गयी थी, तथापि यह देखा गया कि ₹ 15.16 करोड़ (97.30 प्रतिशत) का उपयोग मार्च 2020 तक नहीं किया गया था और यह सीसी के पास पड़ा रहा जैसा कि नीचे **तालिका 2.1.4** में दर्शाया गया है:

तालिका 2.1.4: ऋतु 2016 से 2018 के लिए प्राप्त और उपयोग की गई विकास निधि

(₹ लाख में)

प्रमण्डल	सीसी को प्राप्त निधि				उपयोग की गई निधि				अप्रयुक्त निधि			
	केएल ऋतु वर्ष			कुल	केएल ऋतु वर्ष			कुल	केएल ऋतु वर्ष			कुल
	2016	2017	2018		2016	2017	2018		2016	2017	2018	
डाल्टेनगंज	146.58	235.55	88.05	**470.18**	4.26	0.00	0.00	**4.26**	142.32	235.55	88.05	**465.92**
धालभूम	88.39	113.39	32.72	**234.5**	9.86	0.00	0.00	**9.86**	78.53	113.39	32.72	**224.64**
हजारीबाग	187.04	287.14	73.50	**547.68**	28.25	0.00	0.00	**28.25**	158.79	287.14	73.50	**519.43**
राँची	107.07	151.42	47.20	**305.69**	0.00	0.00	0.00	**0.00**	107.07	151.42	47.20	**305.69**
कुल	**529.08**	**787.50**	**241.47**	1,558.05	**42.37**	**0.00**	**0.00**	**42.37**	**486.71**	**787.50**	**241.47**	1,515.68

(स्रोतः नमूना जाँच किए गए प्रमण्डलों से प्राप्त सूचना)

लेखापरीक्षा विश्लेषण से यह उद्घाटित हुआ कि:

- धालभूम एमएफपीपी प्रमण्डल ने साल/महुआ बीज निष्कर्षण मशीन के प्रतिष्ठापन, चिरौंजी बीज पेराई मशीन, तालाबों के नवीनीकरण, डीजल इंजन का क्रय, साल प्लेट बनाने की मशीन, चबूतरा, कुआँ, यात्री शेड, श्मशान घाट में शेड, चापानल/ नलकूप की स्थापना, डीप बोरिंग इत्यादि से संबंधित 30 सीसी द्वारा प्रस्तुत प्रस्तावों पर एमडी से दिशानिर्देश की माँग की थी (फरवरी 2018)। हालांकि, मार्च 2020 तक न तो एमडी और न ही डीएम ने उन प्रस्तावों पर आगे विचार किया जबकि 24 सीसी के प्रस्ताव कंपनी के दिशानिर्देश (अप्रैल 2018) के अनुरूप थे। केवल तीन[53] सीसी ने मशीनों तथा संबंधित अनुषंगी-यंत्र के क्रय पर ₹ 9.65 लाख खर्च (जनवरी और मार्च 2020 के बीच) किए।
- डाल्टेनगंज एमएफपीपी प्रमण्डल के 27 में से पाँच सीसी ने विकास योजनाओं के चयन के लिए बैठकें नहीं बुलायीं/कीं। सड़क, शेड, चबूतरा, तालाब, पानी-टंकी, चापानल, नलकूप आदि के निर्माण से संबंधित प्रस्तावों, यद्यपि 16 सीसी द्वारा आम सभाओं में पारित किए गए थे (मार्च 2017 और मार्च 2020 के बीच), को प्रमण्डल द्वारा अनुमोदित नहीं किया गया क्योंकि ये प्रस्ताव लघु वन-उत्पाद के संवर्धन और विपणन की गतिविधियों से संबंधित नहीं थे तथा इसी तरह की योजनाओं को अन्य विभागों द्वारा भी वित्त-पोषित किया जा रहा था। सीसी ने संशोधित प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किए और निधियाँ उनके पास अप्रयुक्त पड़ी रहीं।
- डाल्टेनगंज एमएफपीपी प्रमण्डल में बाँस की खरीद के लिए वित्तीय सहायता/ अग्रिम के तौर पर, मितर की सीसी ने 38 पीसी को ₹ 19,000 (जनवरी 2018) तथा सेरेंदाग की सीसी ने एक पीसी को ₹ 600 दिए। विकास निधि का उपयोग जेएसकेएलपी 2015/ कंपनी के निर्देशों (अप्रैल 2018) द्वारा मार्गदर्शित है। विकास

[53] खरसांवां: ₹ 3.83 लाख, कुंदरुगुडू: ₹ 2.04 लाख एवं संतरा: ₹ 3.78 लाख

योजनाओं की परिधि में इस प्रकार की वित्तीय सहायता की ग्राह्यता के संबंध में जेएसकेएलपी/ कंपनी के निर्देश मौन थे।

- धालभूम एमएफपीपी प्रमण्डल के तीन[54] सीसी ने आम सभाओं में बिना कोई प्रस्ताव पारित किए बैंक खातों से ₹ 2.21 लाख की निकासी (अगस्त 2018 और फरवरी 2020 के बीच) की। दो[55] सीसी ने निकासी के सात से 12 महीने से अधिक समय के बाद बैंक खातों में ₹ 75,000 वापस जमा किए (फरवरी 2020 और दिसंबर 2020 के बीच)। दो सीसी से संबंधित शेष ₹ 1.46 लाख ढाई वर्ष से अधिक समय बीत जाने के बाद भी न तो बैंक खाते में वापस जमा किए गए और न ही उनके लेखाओं में दर्शाए गए। विकास निधि खाते का संचालन संयुक्त रूप से सदस्य सचिव (एफपीओ) एवं सीसी के अध्यक्ष द्वारा किया जाना था और उनकी सहमति के बगैर किसी राशि की निकासी नहीं की जा सकती थी। अतः, सदस्य सचिव एवं सीसी के अध्यक्षों द्वारा विकास निधि के दुरूपयोग की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है।
- जून 2021 तक एफपीओ के स्वीकृत 135 पदों के विरुद्ध मात्र 60 एफपीओ (44 प्रतिशत) थे। नमूना-जाँचित चार प्रमंडलों में 149 सीसी थे जो केवल 36 एफपीओ द्वारा सहायतित थे। एफपीओ की कमी के कारण विकास निधि के बेहतर तथा ससमय उपयोग के लिए व्यवहार्य प्रस्ताव बनाने में विलंब हुआ।

इस प्रकार, सीसी लघु वन-उत्पादों के संवर्धन एवं विपणन से संबंधित योजनाओं या गतिविधियों का चयन करने में विफल रही जिससे पीसी की आय बढ़ जाए। इसके अलावा, एफपीओ एवं प्रमंडलों ने ₹ 15.16 करोड़ की अव्ययित विकास निधि के उपयोग हेतु सीसी को आवश्यक सहायता नहीं प्रदान की।

विभाग ने लेखापरीक्षा टिप्पणी को स्वीकार किया और कहा (अक्टूबर 2021) कि अव्ययित निधि का उपयोग करने का प्रयास किया जाएगा तथा और विकास योजनाओं को तैयार करने में सीसी को सुविधा प्रदान करने हेतु प्रमंडलों को निर्देश दिया जाएगा। विकास निधि से अनियमित अग्रिम एवं निकासी के संबंध में कहा गया कि मामले की जाँच की जाएगी और आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। एफपीओ की कमी के लिए उनकी सेवानिवृत्ति को ज़िम्मेदार ठहराते हुए विभाग द्वारा यह आश्वस्त किया गया कि एफपीओ की नई नियुक्ति की जाएगी।

2.1.4 माल प्रबंधन

माल किसी व्यापार के सामान्य क्रम में विक्रय के लिए मूर्त संपत्ति होता है। माल का प्रबंधन वन-उत्पाद की गुणवत्ता में ह्रास के जोखिम से परिहार हेतु केएल की ससमय विक्रय सुनिश्चित करता है। नमूना जाँचित प्रमंडलों/ प्रक्षेत्रों के अभिलेखों की जाँच से निम्नलिखित उद्घाटित हुआ:

---

[54] कांड्रा (अगस्त 2018 में ₹ 3,000), नारायणबेड़ा (अगस्त 2018 में ₹ 8,040, दिसम्बर 2018 में ₹ 1.35 लाख तथा फरवरी 2020 में ₹ 50,000), सोंगरा (नवम्बर 2019 में ₹ 25,000)

[55] सोंगरा (फरवरी 2020 में ₹ 10,000 तथा दिसम्बर 2020 में ₹ 15,000) एवं नारायणबेड़ा (सितम्बर 2020 में ₹ 50,000)

2.1.4.1 केएल गोदामों का निर्माण

जेएसकेएलपी के कंडिका 14.1 के अनुसार, केएल के भंडारण क्षमता में वृद्धि के लिए कंपनी को गोदामों का निर्माण करना था और यदि जरूरत हो तो विभाग को तकनीकी, प्रशासनिक एवं वित्तीय सहायता प्रदान करना था।

लेखापरीक्षा ने पाया कि कंपनी के निगमन के बाद कोई गोदाम निर्मित नहीं हुए तथा 2015-20 के दौरान नये गोदामों के निर्माण का कोई प्रस्ताव विभाग को प्रस्तुत नहीं किया गया। लेखापरीक्षा ने आगे पाया कि कंपनी के पास 39 गोदाम थे जिनमें से केवल सात गोदाम (3100 एमटी) अच्छी स्थिति में थे, 23 (8700 एमटी) में वृहत् मरम्मती की आवश्यकता थी तथा नौ (2500 एमटी) जीर्ण-शीर्ण अवस्था में थे। हालांकि, कंपनी ने 2015-20 के दौरान क्षतिग्रस्त गोदामों की मरम्मती या नवीनीकरण की कोई योजना नहीं बनाई। आगे, यह देखा गया कि कंपनी ने अपने गोदाम केएल क्रेताओं को किराये पर दी थी एवं किराया के रूप में 2015-18 के दौरान ₹ 28.12 लाख की वसूली की थी। नमूना-जाँचित चार प्रमंडलों में अगस्त 2021 तक 35 में से केवल 10 (29 प्रतिशत) विभागीय गोदाम कार्यात्मक थे।

विभाग ने तथ्य को स्वीकार किया और कहा (अक्टूबर 2021) कि नए गोदामों के निर्माण का प्रस्ताव बोर्ड के समक्ष रखा जाएगा और मौजूदा गोदामों का नवीनीकरण/ रखरखाव चालू वर्ष में किया जाएगा।

2.1.4.2 केएल बोरियों का कम भंडारण

इकरारनामा के अनुसार, क्रेताओं को संग्रहण लागत (अग्रिम में 50 प्रतिशत तथा शेष डीएम द्वारा संग्रहण के आकलन के बाद) का भुगतान केएल उठाव से पूर्व करना था। क्रेता के ससमय संग्रहण लागत का भुगतान करने में विफलता तथा संग्रहित केएल का कब्जा नहीं लेने के मामलों में प्रमण्डल केएल को सुखाने और बोरियों में भरने की व्यवस्था करेगा और इस प्रकार का खर्च क्रेता द्वारा वहन किया जाएगा।

लेखापरीक्षा ने पाया कि चार[56] एमएफपीपी प्रमण्डलों में, ऋतु 2015 से 2018 से संबंधित 20 लॉटों में 30,169 बोरियों के वास्तविक संग्रहण के विरुद्ध केवल 26,195 बोरियों को गोदामों में भण्डारित दिखाया गया। इस प्रकार, 3,974 केएल बोरियों का भंडारण कम था। इन लॉटों में धालभूम एमएफपीपी प्रमण्डल के दो लॉट शामिल थे, जहाँ 601 बोरियाँ कम थीं। अग्रेतर संवीक्षा से उद्घाटित हुआ कि पीसी ने मई और जून 2018 में संग्रहित 601 बोरियों को नहीं उठाने दिया क्योंकि उन्हें संग्रहण लागत का भुगतान नहीं किया गया था। क्रेताओं द्वारा ₹8.69 लाख के शेष संग्रहण लागत को जमा करने (दिसंबर 2018) के पश्चात् पीसी को संग्रहण लागत का भुगतान दिसंबर 2018 में किया गया। इस बीच, 601 बोरियाँ केंदू-पत्ते सड़ गये। अन्य लॉटो में कमी के कारणों का पता नहीं लगाया जा सका क्योंकि वांछित अभिलेख लेखापरीक्षा को प्रस्तुत नहीं किए गए।

---

[56] डाल्टेनगंज, धालभूम, हजारीबाग एवं राँची

इस प्रकार, प्रमण्डल ने पीसी को समय पर संग्रहण लागत का भुगतान सुनिश्चित नहीं किया था जैसा कि दो लॉटों के मामलों में देखा गया जहाँ 601 बोरियाँ केंदू-पत्ते सड़ गये थे।

विभाग ने लेखापरीक्षा टिप्पणी को स्वीकार किया और आश्वस्त किया (अक्टूबर 2021) कि अब से पीसी को संग्रहण लागत का भुगतान समय से की जाएगी।

2.1.5 अन्य रोचक मुद्दे

2.1.5.1 कार्यकारी परिणाम

कंपनी ने केवल 2016-17 तक ही अपनी वार्षिक लेखाओं को अंतिमीकृत किया था। वर्ष 2017-18 की वार्षिक लेखाएं प्रक्रियाधीन थीं। वर्ष 2015-16 से 2019-20 तक का कंपनी का राजस्व और व्यय का विवरण नीचे **तालिका 2.1.5** में दर्शाया गया है:

तालिका 2.1.5: कंपनी के राजस्व, व्यय और शुद्ध लाभ का विवरण

(₹ करोड़ में)

विवरण	वार्षिक लेखे			संशोधित बजट प्राक्कलन		कुल
	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	
केएल के विक्रय से राजस्व	50.3	120.52	169.54	171.63	56.55	568.54
टिम्बर के विक्रय से राजस्व	2.90	7.95	6.06	6.38	2.81	26.10
टिकट की विक्रय	0.42	0.51	0.45	0.03	0	1.41
कैंटीन सामग्री	0.13	0.12	0.16	0	0	0.41
बैंक से ब्याज	7.08	7.30	16.82	4.74	7.55	43.49
अतिदेय व्यापार पर प्राप्य ब्याज	0.02	0.02	0.24	0.76	0.72	1.76
विविध आय/प्राप्तियाँ	0.62	1.22	2.31	1.13	12.44	17.72
कुल राजस्व	**61.47**	**137.64**	**195.58**	**184.67**	**80.07**	**659.43**
कुल व्यय	53.44	123.37	156.22	135.50	53.79	522.32
शुद्ध लाभ	**8.03**	**14.27**	**39.36**	**49.17**	**26.28**	**137.11**
कर व्यय	2.65	4.85	13.33	14.75	7.88	43.46
कर के पश्चात् शुद्ध लाभ	**5.38**	**9.42**	**26.03**	**34.42**	**18.40**	**93.65**
कर के पश्चात् शुद्ध लाभ का प्रतिशत	8.75	6.84	13.31	18.64	22.98	14.20

(स्रोत: कंपनी द्वारा दी गई जानकारी)

लेखापरीक्षा ने पाया कि:

- ऋतु 2015, 2016 और 2017 के दौरान 300 केएल लॉटों में से क्रमशः 138, 282 तथा 300 केएल लॉटों का विक्रय हुआ और इस प्रकार 2015-16 से 2017-18 के दौरान केएल विक्रय से राजस्व एवं शुद्ध लाभ में बढ़ती प्रवृत्ति दिखाई दी।
- ऋतु 2018 के दौरान, 300 में से 210 केएल लॉट बेचे गए जो 2018-19 के संशोधित बजट में राजस्व एवं लाभ में वृद्धि के रूप में परिलक्षित हुआ। हालांकि, वास्तविक आँकड़े आना अभी बाकी है।
- ऋतु 2019 के दौरान, 299 लॉटों में से मात्र 74 केएल लॉट ही बिक सके जो 2019-20 के अनुमानित राजस्व एवं लाभ में तीव्र गिरावट के रूप में परिलक्षित हुआ।

विभाग ने कहा (अक्टूबर 2021) कि वित्तीय वर्ष 2017-18 के वार्षिक लेखाओं की पूरक लेखापरीक्षा प्रक्रियाधीन है तथा वित्तीय वर्ष 2018-19 से 2019-20 के वार्षिक लेखाओं को जल्द से जल्द अंतिमीकृत करने का प्रयास किया जा रहा है।

2.1.5.2 व्यापारिक संभावनाएं नहीं तलाशे गए

लघु वन उत्पाद (एमएफपी) का आर्थिक मूल्य वनवासियों के लिए अधिक महत्वपूर्ण होता है क्योंकि ऐसे उत्पादों की बड़ी संख्या बाजार में प्रवेश नहीं करती हैं और ये मुख्य रूप से थोड़े मूल्यवर्धन के साथ स्थानीय स्तर पर खपत की जातीं हैं। कंपनी के संस्था-ज्ञापन-पत्र (एमओए) के अनुसार, कंपनी का मुख्य उद्देश्य वन उत्पाद और उत्पादकता में तेजी लाकर परियोजनाओं और गतिविधियों को बढ़ावा देना, विकसित करना और जारी रखना था। कंपनी को वन उत्पादों पर आधारित उद्योगों का विकास और एमएफपी के व्यावसायिक विक्रय एवं प्रसंस्करण को बढ़ावा देना तथा प्रबंधन करना था। इसके अतिरिक्त, अपने सहायक उद्देश्यों के रूप में कंपनी वन विज्ञान, कृषि, बागवानी, फलों, फाइबर, घास, औषधीय पौधों एवं आर्थिक मूल्यों वाली अन्य प्रजातियों की खेती, प्रचार या अन्यथा जिम्मा ले सकती है। अंततः, अधिकतम वित्तीय प्रतिफल प्राप्त करने हेतु कंपनी को वन उत्पादों के बेहतर उपयोग के लिए वन संसाधनों का वैज्ञानिक दोहन करना था।

लेखापरीक्षा ने पाया कि पड़ोसी राज्य ओड़िशा में ओड़िशा वन विकास निगम लिमिटेड ने वन उत्पादों से जुड़ी अन्य गतिविधियों जैसे बाँस एवं साल के बीज का संग्रहण एवं विपणन, शहद का प्रसंस्करण और व्यापार, रबड़ का रोपण और विपणन, काजू, आचारों का उत्पादन और विपणन, जैव-डीजल आदि की तलाश की और प्रारंभ किया। इसी प्रकार, छत्तीसगढ़ वन निगम लिमिटेड ने सिसल रेशे/रस्सी एवं जैव-ईंधन बनाने के लिए क्रमशः सिसल और जैट्रोफा का वृक्षारोपण किया।

मार्च 2020 तक कंपनी ने अपनी आय बढ़ाने के लिए अपनी गतिविधियों में ऐसे विस्तार को नहीं तलाशा, जैसा कि एमओए के तहत परिकल्पित था और अपनी गतिविधियों को केवल केएल एवं टिम्बर के विक्रय तक सीमित रखा, जबकि केएल बाजार में मंदी के कारण राजस्व में घटती प्रवृत्ति को देखते हुए बोर्ड की बैठक (अगस्त 2019) में पारित किया गया था कि अन्य संबद्ध गतिविधियों में विविधता लाते हुए व्यापारिक अवसरों को तलाशा जाए।

इस प्रकार, कंपनी वन संबंधी व्यावसायिक गतिविधियों के विस्तार के संबंध में अपने एमओए का पालन करने में विफल रही और अपनी आय बढ़ाने के साथ-साथ वनवासियों के लिए रोजगार सृजन का अवसर को भी जाने दी।

विभाग ने तथ्य को स्वीकार किया और कहा (अक्टूबर 2021) कि एमएफपी संग्रहण के क्षेत्र में विभिन्न सरकारी एजेंसियाँ काम कर रही हैं। हालांकि, कंपनी स्थानीय लोगों की आजीविका में सुधार हेतु अपनी गतिविधियाँ विस्तार करने के तरीके तलाशेगी जैसा कि बोर्ड की बैठक (अगस्त 2019) में पारित किया गया था।

2.1.5.3 उपकर का ग़ैर-प्रेषण

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार सरकार की अगस्त 1991 की अधिसूचना के अनुसार टिम्बर की विक्रय के मामले में विक्रय मूल्य के तीन प्रतिशत की दर से उपकर लगाना था।

लेखापरीक्षा ने पाया कि कंपनी ने 2007-08 से 2019-20 की अवधि के दौरान टिम्बर विक्रय पर उपकर के रूप में ₹ 1.25 करोड़[57] की वसूली की थी। हालांकि, कंपनी ने अपनी लेखाओं में उपकर को अपना राजस्व माना और इसे कभी भी संबंधित विभाग को हस्तांतरित नहीं किया। इस प्रकार, कंपनी ने ₹ 1.25 करोड़ के उपकर को अनियमित रूप से रुद्ध रखा।

विभाग ने कहा (अक्टूबर 2021) कि इस संदर्भ में आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। तथ्य यही है कि वसूलित उपकर सरकारी खातों में जमा नहीं हुए।

2.1.5.4 बिक्री आय का सरकारी खाते में गैर-प्रेषण

विभाग द्वारा जारी (फरवरी 2008) निर्देश के अनुसार, टिम्बर के बिक्री मूल्य का 90 प्रतिशत सरकारी खाते में जमा किया जाना था और शेष 10 प्रतिशत कंपनी द्वारा प्रशासनिक शुल्क के रूप में रखा जाना था।

लेखापरीक्षा ने पाया कि 2015-16 से 2020-21 के दौरान कंपनी ने ₹ 24.62 करोड़ पोल और जलावन सहित टिम्बर के विक्रय से प्राप्त किया था। हालांकि, कंपनी ने ₹ 22.16 करोड़, विक्रय मूल्य की 90 प्रतिशत राशि, सरकारी खाते में प्रेषित नहीं की। बल्कि कंपनी की लेखाओं में इसे देय देनदारी के रूप में दिखायी गयी थी।

पूर्व की अवधि में टिम्बर की बिक्री-आय के प्रतिधारण से इंकार नहीं किया जा सकता तथा देनदारी का आकलन करने हेतु लेखापरीक्षा ने वर्ष 2007-08 से 2014-15 की अवधि के ब्यौरे/अभिलेखों की माँग की थी। हालांकि, कंपनी द्वारा ब्यौरे/अभिलेखों को प्रस्तुत नहीं किया गया। लेखापरीक्षा ने आगे पाया कि नमूना-जाँचित चार प्रमंडलों[58] ने 2007-08 से 2014-15 के दौरान पोल और जलावन सहित टिम्बर के विक्रय से ₹ 22.20 करोड़ विक्रय मूल्य वसूल की। इस प्रकार, कंपनी ने विक्रय मूल्य के 90 प्रतिशत की राशि के रूप में ₹ 19.98 करोड़ की देनदारी पैदा की क्योंकि कंपनी द्वारा राशि सरकारी खाते में नहीं जमा की गई। अतः, कंपनी ने विभाग के निर्देशों का पालन नहीं किया और कम से कम ₹ 42.14 करोड़ के सरकारी राजस्व को रुद्ध रखा।

विभाग ने कहा (अक्टूबर 2021) कि राशि को कंपनी की लेखाओं में देनदारी के रूप में रखा गया है तथा मामले को निस्तारित करने के लिए आवश्यक कार्यवाही की जाएगी।

2.1.6 निष्कर्ष

कंपनी ने केएल की मात्रा एवं गुणवत्ता में सुधार सुनिश्चित करने के लिए केंदु-झाड़ियों की ठूंठ-कटाई की वृत्ति नहीं अपनाई। इसके कारण केएल लॉट की अधिसूचित उपज

---

[57] वर्ष 2007-08 से 2017-18 तक के आँकड़े वार्षिक लेखाओं से तथा कंपनी द्वारा प्रदत 2018-19 एवं 2019-20 के आँकड़े।

[58] डाल्टेनगंज, धालभूम, हजारीबाग एवं राँची

में कमी आई और 33 प्रतिशत लॉट बोली प्राप्त नहीं होने अथवा उद्धृत मूल्य आरक्षित मूल्य से कम होने के कारण बिना बिके रह गए। । बोलीदाताओं को आकर्षित करने के लिए कंपनी ने नवंबर 1984 से 36 वर्षों के बाद भी उपज को पुनराधिसूचित करने हेतु उसका पुनर्मूल्यांकन नहीं किया। एक ही प्रमण्डल के विभिन्न लॉटों में प्रति बोरी केएल के विक्रय मूल्य में अत्यधिक भिन्नताएँ थीं जो ₹ 166 और ₹ 8,885 के बीच थी। नमूना-जाँचित चार प्रमण्डलों में देय बकाये के किए संशोधित नीलामपत्र वाद दाखिल न करने के कारण ₹ 17.75 करोड़ की राशि अवसूलित रही।

कंपनी ने 8.52 लाख बोरियों की अधिसूचित उपज वाले 333 केंदु-पत्ता लॉटों की विभागीय कटाई सुनिश्चित नहीं किया और पीसी इन ऋतुओं में अधिसूचित संग्रहण लागत जो प्रति बोरी ₹ 1,120 और ₹ 1,195 के बीच थी, से वंचित रहे। पीसी को अधिसूचित उपज की तुलना में अधिक केएल संग्रहण के लिए ₹ 5.82 करोड़ की अतिरिक्त संग्रहण लागत नहीं दी गयी। विकास योजनाओं एवं केंदू झाड़ियों के संवर्धन के लिए सीसी को दिए गए ₹ 15.16 करोड़ का उपयोग कंपनी सुनिश्चित नहीं कर पायी और राशि सीसी के पास पड़ी रही।

39 में से 32 गोदाम या तो जीर्ण-शीर्ण अवस्था में थे या उनमें वृहत् मरम्मत की आवश्यकता थी और कंपनी उस राजस्व से वंचित रही जो इन्हें केएल क्रेताओं को किराये पर देने पर प्राप्त हो सकती थी। कंपनी ने अपनी आय बढ़ाने हेतु अपनी गतिविधियों के विस्तार की संभावना की तलाश नहीं की जैसा कि एमओए के तहत् परिकल्पित था और अपनी गतिविधियाँ केवल केएल एवं टिम्बर विक्रय तक ही सीमित रखी। कंपनी ने टिम्बर के बिक्री मूल्य की ₹ 42.14 करोड़ राशि तथा ₹ 1.25 करोड़ के उपकर को सरकारी खातों में प्रेषित नहीं किया।

2.1.7 अनुशंसाएँ

➢ कंपनी को अवसूलित ₹ 17.75 करोड़ की बकाया राशि की वसूली हेतु लंबित नीलामपत्र वादों पर तत्काल कार्रवाई शुरू करनी चाहिए।

➢ कंपनी को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि बिना बिके लॉटों की विभागीय कटाई की जाए और प्राथमिक संग्राहकों को संग्रहण लागत का भुगतान अनिवार्य रूप से किया जाए।

➢ कंपनी को टिम्बर के बिक्री मूल्य एवं उपकर की राशि ₹ 43.39 करोड़ को अविलंब सरकारी खाते में प्रेषित करना चाहिए।

➢ वनवासियों की आय में वृद्धि हेतु कंपनी को विकास योजनाओं को आरेखित एवं कार्यान्वित करने अथवा लघु वन-उत्पाद आधारित सूक्ष्म उद्यमों को स्थापित करने हेतु संग्राहक समितियों के साथ समन्वय स्थापित करना चाहिए।

(इन्दु अग्रवाल)
प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) झारखण्ड

राँची
दिनांक 19 अप्रैल 2022

प्रतिहस्ताक्षरित

(गिरीश चंद्र मुर्मू)
भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक

नई दिल्ली
दिनांक: 25 अप्रैल 2022